



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jodhpur@yahoo.com वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक/बैठक/2018/692

दिनांक :: 26 सितम्बर, 2018

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 25 सितम्बर, 2018 को प्रातः 11.00 बजे श्री प्रो. (डॉ.) महेन्द्र सिंह राठौड़, माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 19 अप्रैल, 2018 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 19 अप्रैल, 2018 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 19 अप्रैल, 2018 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 19 अप्रैल, 2018 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: आरटीओ ऑफिस से सारण नगर पुलिया तक 80 फीट रोड़ का नामकरण डॉ. ओम दत्त भाटी रोड़ करने के संबंध में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा जरिये पत्र आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को निर्देशित किया है कि आर टी ओ ऑफिस के पास से सारण नगर तक अतिमहत्वपूर्ण रोड़ आम जन की परेशानियों को देखते हुए जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया। इसमें जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा भूमि अवाप्ति में 6.94 करोड़ रुपये की राशि व निर्माण में 2.90 करोड़ कुल राशि 9.84 करोड़ खर्च कर कुल 2.5 किमी रोड़ को 80 फीट चौड़ी बनाई जाने का निर्णय लिया जाकर कार्य शुरू करवाया गया। उक्त रोड़ माली समाज के पुरोधे एवं जोधपुर के पूर्व विधायक डॉ. ओम दत्त भाटी के नाम किए जाने का निर्णय प्राधिकरण की बैठक की प्रत्यासा में लिया गया, उक्त प्रस्ताव आगामी बैठक में स्वीकृति हेतु रखा जाये। जिसके क्रम में प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

स्वायत्त शासन विभाग के पत्र दिनांक 1 मार्च, 1997 के द्वारा सार्वजनिक स्थानों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगायी जाने वाली प्रतिमाओं के संबंध में निर्णय/स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा संभागीय स्तर पर एक समिति गठित की गयी है जिसकी अध्यक्षता संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान, जयपुर क पत्र क्रमांक प.517/प्र.सु./अनु-III/2000 दिनांक 31 अगस्त, 2000 के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों/स्वतंत्रता सैनानियों के नाम पर सड़कों के नामकरण हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जिसमें प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में नामकरण पर विचार करने के लिए संभागीय आयुक्त

महोदय की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है। इसी प्रकार स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2083 दिनांक 26 मार्च, 2007 के अनुसार पूर्व विभागीय आदेश दिनांक 1 मार्च, 1997 की निरन्तरता में सर्किल, चौक एवं सार्वजनिक पार्क के नामकरण हेतु भी संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी को अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार के उपरोक्त निर्देशों के क्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया। चूंकि सड़कों के नामकरण हेतु संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है। अतः आर.ओ.बी. ऑफिस से सारण नगर पुलिया तक सड़क का नामकरण डॉ. ओमदत्त भाटी मार्ग करने के संबंध में प्राधिकरण की अनुशंसा के साथ संभागीय आयुक्त महोदय को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाये जाने का सर्व सम्मति से बैठक में निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: आर ओ बी सारण नगर जोधपुर का नामकरण लोक देवता वीर तेजा जी की स्मृति में करने बाबत।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा जरिये पत्र आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया कि सारण नगर आर ओ बी का निर्माण जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा 73.74 करोड रुपये लगाकर किया गया है। जिसका लोकार्पण इसके संपूर्ण कार्य पूरा होने पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है। इसका नामकरण राजस्थान के प्रमुख लोक देवता वीर तेजाजी की स्मृति में किया जाना है। जो कि क्षेत्र की लोक भावनाओं के अनुरूप भी होगा। अतः प्राधिकरण की बैठक की स्वीकृति की प्रत्याशा में लिये गये निर्णय का प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है। जिसके क्रम में प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

स्वायत्त शासन विभाग के पत्र दिनांक 1 मार्च, 1997 के द्वारा सार्वजनिक स्थानों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगायी जाने वाली प्रतिमाओं के संबंध में निर्णय/स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा संभागीय स्तर पर एक समिति गठित की गयी है जिसकी अध्यक्षता संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान, जयपुर क पत्र क्रमांक प.517/प्र.सु./अनु-III/2000 दिनांक 31 अगस्त, 2000 के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों/स्वतंत्रता सैनानियों के नाम पर सड़कों के नामकरण हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जिसमें प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में नामकरण पर विचार करने के लिए संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है। इसी प्रकार स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2083 दिनांक 26 मार्च, 2007 के अनुसार पूर्व विभागीय आदेश दिनांक 1 मार्च, 1997 की निरन्तरता में सर्किल, चौक एवं सार्वजनिक पार्क के नामकरण हेतु भी संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी को अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार के उपरोक्त निर्देशों के क्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आर.ओ.बी. सारण नगर का लोकार्पण हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा चुका है एवं उक्त पुलिये का निर्माण प्राधिकरण द्वारा करवाया गया है एवं चूंकि उपरोक्त अनुसार प्रस्ताव में वर्णित विभिन्न परिपत्र पुलिये के नामकरण के संबंध में नहीं है लिहाजा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सारण नगर आर.ओ.बी. का नाम राजस्थान के प्रमुख लोकदेवता की स्मृति में "लोक देवता वीर तेजाजी आर.ओ.बी." किया जाता है।



प्रस्ताव संख्या 4 :: आर टी ओ रेलवे क्रॉसिंग पर शिलान्यास करवाए जा रहे आर ओ बी का नामकरण पूर्व उप राष्ट्रपति माननीय भैरूसिंह शेखावत ओवर ब्रिज करने बाबत।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा जरिये पत्र आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को निर्देशित किया है कि बहुप्रतिक्षित आर टी ओ रेलवे क्रॉसिंग पर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा आर.ओ.बी. निर्मित करने का निर्णय लिया गया है। जिसकी लागत करीब 71 करोड रूपये है। ये इस क्षेत्र में रहने वाले आमजन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। जिसका की शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय वसुन्धरा राजे साहिब द्वारा करवाया/किया जा रहा है। जन भवनाओं के अनुरूप इसका नामकरण जन नायक पूर्व में 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं भारत के उप राष्ट्रपति रहे महामहिम भैरूसिंह शेखावत की स्मृति में किया जाने का निर्णय प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में किया गया है। अतः प्राधिकरण की बैठक में उक्त नामकरण का अनुमोदन हेतु प्रस्ताव बैठक में प्रस्तुत करें। जिसके क्रम में प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

स्वायत्त शासन विभाग के पत्र दिनांक 1 मार्च, 1997 के द्वारा सार्वजनिक स्थानों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगायी जाने वाली प्रतिमाओं के संबंध में निर्णय/स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा संभागीय स्तर पर एक समिति गठित की गयी है जिसकी अध्यक्षता संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान, जयपुर क पत्र क्रमांक प.517/प्र.सु./अनु-III/2000 दिनांक 31 अगस्त, 2000 के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों/स्वतंत्रता सैनानियों के नाम पर सड़कों के नामकरण हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है। जिसमें प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में नामकरण पर विचार करने के लिए संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है। इसी प्रकार स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2083 दिनांक 26 मार्च, 2007 के अनुसार पूर्व विभागीय आदेश दिनांक 1 मार्च, 1997 की निरन्तरता में सर्किल, चौक एवं सार्वजनिक पार्कों के नामकरण हेतु भी संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी को अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार के उपरोक्त निर्देशों के क्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आर.टी.ओ. रेलवे क्रॉसिंग पर आर.ओ.बी. निर्माण का शिलान्यास हाल ही में माननीया मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा चुका है एवं उक्त पुलिये का निर्माण प्राधिकरण द्वारा करवाया जाएगा एवं चूंकि उपरोक्त अनुसार प्रस्ताव में वर्णित विभिन्न परिपत्र पुलिये के नामकरण के संबंध में नहीं है लिहाजा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आर.टी.ओ. रेलवे क्रॉसिंग पर निर्मित होने वाले आर.ओ.बी. का नामकरण शेर-ए-राजस्थान स्व0 श्री भैरूसिंह शेखावत की स्मृति में "शेर-ए-राजस्थान भैरूसिंह शेखावत आर.ओ.बी." किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 5 :: जे.एन.वी. विश्वविद्यालय मुख्य कार्यालय के द्वार शहीद भगतसिंह की मूर्ति व शहीद स्मारक के अंदर बीच का स्थल जोधपुर स्टेट फोर्सेज वॉर मेमोरियल के लिये चिन्हित करने के संबंध में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा जरिये पत्र आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को निर्देशित किया कि जे.एन.वी. विश्वविद्यालय मुख्य द्वार शहीद भगतसिंह की मूर्ति व शहीद स्मारक के अंदर ही बीच केस्थल को जोधपुर स्टेट फोर्सेज वॉर मेमोरियल के लिए स्थल चिन्हित करने हेतु प्राधिकरण की बैठक की स्वीकृति की प्रत्याशा में लिये गये निर्णय का प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। जिसके क्रम में प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।



निर्णय

उक्त प्रस्ताव इसी बैठक के एजेण्डा संख्या 15 के अनुरूप ही है। अतः इसका निर्णय एजेण्डा संख्या 15 पर लिया जावे।

प्रस्ताव संख्या 6 :: ओल्ड केम्पस में निर्माणाधीन कौटिल्य कौशल विकास नीति एवं योग केन्द्र भवन में निम्न स्थलों का नामकरण करने के संबंध में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा जरिये पत्र आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को जे.एन.वी. विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन कौटिल्य भवन में निम्नानुसार स्थलों का नामकरण करने हेतु निर्देशित किया है:-

- 1- मुख्य सभागृह- शिक्षाविद् प्रो. शारदा शरणसिंह सभागृह
- 2- मीटिंग हॉल - प्रो. डी.एन. एलहांस
- 3- मीटिंग हॉल - प्रो. जे.के. व्यास

जिसके क्रम में प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में अवगत कराया गया कि क्रम संख्या 2 पर नाम त्रुटिवंश प्रो. एन.एल. हांस अंकित है जबकि वास्तविक नाम प्रो. डी.एल. एलहांस है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन कौटिल्य भवन जो जोधपुर विकासप्राधिकरण, जोधपुर द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है, के मुख्य सभागृह का नामकरण शिक्षाविद् प्रो. शारदा शरणसिंह सभागृह, मीटिंग हॉल का नामकरण प्रो. डी.एन. एलहांस मीटिंग हॉल एवं दूसरे मीटिंग हॉल का नाम प्रो. जे.के. व्यास मीटिंग हॉल किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: बासनी ओवरब्रिज का नाम गुरु जम्भेश्वर भगवान करने के संबंध में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा जरिये पत्र आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को निर्देशित किया है कि बासनी ओवरब्रिज का नाम गुरु जम्भेश्वर भगवान के नाम करने हेतु प्राधिकरण की बैठक की स्वीकृति की प्रत्याशा में लिये गये निर्णय का प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करें। जिसके क्रम में प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

स्वायत्त शासन विभाग के पत्र दिनांक 1 मार्च, 1997 के द्वारा सार्वजनिक स्थानों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगायी जाने वाली प्रतिमाओं के संबंध में निर्णय/स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा संभागीय स्तर पर एक समिति गठित की गयी है जिसकी अध्यक्षता संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान, जयपुर क पत्र क्रमांक प.517/प्र.सु./अनु-III/2000 दिनांक 31 अगस्त, 2000 के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों/स्वतंत्रता सैनानियों के नाम पर सड़कों के नामकरण हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जिसमें प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में नामकरण पर विचार करने के लिए संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है। इसी प्रकार स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2083 दिनांक 26 मार्च, 2007 के अनुसार



पूर्व विभागीय आदेश दिनांक 1 मार्च, 1997 की निरन्तरता में सर्किल, चौक एवं सार्वजनिक पार्क के नामकरण हेतु भी संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी को अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार के उपरोक्त निर्देशों के क्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया तथा प्राधिकरण के समक्ष यह बात लायी गयी कि बासनी ओवरब्रिज का निर्माण प्राधिकरण द्वारा नहीं किया गया है इसलिए प्राधिकरण अपने स्तर पर इस ओवरब्रिज का नामकरण नहीं कर सकता है। अतः बासनी ओवरब्रिज का नामकरण गुरु जम्भेश्वर करने के संबंध में प्राधिकरण की अनापत्ति संभागीय आयुक्त महोदय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाये जाने का बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: भदवासिया आर. ओ. बी. का नामकरण।

जिला प्रशासन द्वारा सूचित किया है कि हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गौरव यात्रा के दौरान श्री गोतम नवल, संयोजक, भदवासिया ओवरब्रिज नामकरण संघर्ष समिति, जोधपुर ने प्रदेश राजस्थान महानगर जोधपुर में निर्मित भदवासिया ओवरब्रिज का नामकरण विश्वविभूति बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के नाम करने हेतु निवेदन किया है। (प्रस्ताव संख्या 9)

इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर इस संबंध में की गयी कार्यवाही से अवगत कराने हेतु दूरभाष पर निर्देशित किया जाता रहा है। जिसके क्रम में इस कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि भदवासिया आर.ओ.बी. का नामकरण डॉ. भीमराव अम्बेडकर किये जाने के संबंध में निवेदन है कि आर.ओ.बी. नामकरण के संबंध में प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया जाना है।

स्वायत्त शासन विभाग के पत्र दिनांक 1 मार्च, 1997 के द्वारा सार्वजनिक स्थानों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगायी जाने वाली प्रतिमाओं के संबंध में निर्णय/स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा संभागीय स्तर पर एक समिति गठित की गयी है जिसकी अध्यक्षता संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान, जयपुर क पत्र क्रमांक प.517/प्र.सु./अनु-III/2000 दिनांक 31 अगस्त, 2000 के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों/स्वतंत्रता सैनानियों के नाम पर सड़कों के नामकरण हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जिसमें प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में नामकरण पर विचार करने के लिए संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है। इसी प्रकार स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2083 दिनांक 26 मार्च, 2007 के अनुसार पूर्व विभागीय आदेश दिनांक 1 मार्च, 1997 की निरन्तरता में सर्किल, चौक एवं सार्वजनिक पार्क के नामकरण हेतु भी संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी को अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार के उपरोक्त निर्देशों के क्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भदवासिया आर.ओ.बी. का लोकार्पण माननीया मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा चुका है एवं उक्त पुलिये का निर्माण प्राधिकरण द्वारा करवाया गया है एवं चूंकि उपरोक्त अनुसार प्रस्ताव में वर्णित विभिन्न परिपत्र पुलिये के नामकरण के संबंध में नहीं है लिहाजा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भदवासिया आर.ओ.बी. का नाम बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में "बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर.ओ.बी." किया जाता है।



प्रस्ताव संख्या 9 :: जोन मुख्यालय द्वारा प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति की प्रत्याक्षा में जारी निम्न कार्यादेश की स्वीकृति बाबत।

- 1 वार्ड संख्या 51 बागर चौक मे हनुमान वाटिका मे चार दीवारी उंची करने, रिपेयरिंग व बीच में इन्टरलॉकिंग टाईल्स लगाने का कार्य
- 2 उम्मेद चौक ब्राम्हणों की गली में सीसी सडक एवं पेच रिपेयर का कार्य
- 3 वार्ड 51 अम्बेडकर पार्क (सावित्री फुले महाविद्यालय के पीछे) दीवार उंची करने, रिपेयरिंग, टीन शेड लगाने व फुटपाथ बनाने का कार्य
- 4 हनुमान वाटिका बागर चौक के पास स्थित सीसी सडक पेच रिपेयर का कार्य
- 5 बागर चौक स्थित बेबी पार्क के पास सीता भवन के सामने गली में सीसी सडक का कार्य
- 6 वार्ड संख्या 51 मे अम्बेडकर पार्क से हरिजन बस्ती तक सीसी सडक पेच रिपेयर का कार्य
- 7 वार्ड संख्या 51 मे रामद्वारा की गली बागर चौक में सीसी सडक पेच रिपेयर का कार्य
- 8 वार्ड संख्या 51 मे बतासागर से गोलनाडी तक सीसी सडक पेच रिपेयर का कार्य

निम्नलिखित विकास कार्यों के कार्यादेश प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति की प्रत्याक्षा में जारी किये गये थे। जिसका कारण यह था कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में प्रभावी शिड्यूल ऑफ पावर के बिन्दु संख्या 19 के अनुसार निम्न अनुसार निविदा खोलने के पश्चात् कार्यादेश की स्वीकृति के लिए सक्षमता निम्नानुसार थी:-

S. No	Nature of Power	To Whom Delegated	Power	Remarks
19-	Bids have to finalized within mentioned period, after this period next highr authority shall exercise the power.	Authority	70 days	Time frame prescribed in rule 40(2) of RTPPR 2013 shall be strictly adhered to.
		EC	60 days	
		JDC	50 days	
		DE	40 days	
		SE	30 days	
		EE	20 days	

चूंकि निम्नांकित कार्यों में निविदा खोलने की तिथि एवं कार्यादेश जारी करने के बीच 60 दिवस से अधिक परन्तु 70 दिवस तक का समय व्यतीत हो चुका है इसलिए श्रीमान् आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण की पूर्वानुमति प्राप्त कर कार्यादेश जारी किये गये थे जिसका अनुमोदन प्राधिकरण की बैठक में करवया जाना है। जिनका कार्यों का विवरण निम्न अनुसार है:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	निविदा खोलने की तिथि	दर स्वीकृत किए जाने की तिथि	अन्तर दिवस की संख्या (कॉलम संख्या 4 व 5 का	कार्यादेश राशि

2

1	2	3	4	5	अन्तर)	6	7
1-	वार्ड संख्या 51 बागर चौक मे हनुमान वाटिका मे चार दीवारी उंची करने, रिपेयरिंग व बीच में इन्टरलॉकिंग टाईल्स लगाने का कार्य	3.80 लाख	22 जून, 2018	30 अगस्त, 2018	69 दिन	3,15,197 /-	
2-	उम्मेद चौक ब्राम्हणो की गली में सीसी सडक एवं पेच रिपेयर का कार्य	3.30 लाख	23 जून, 2017	30 अगस्त, 2018	69 दिन	2,84,370 /- टिप्पणी:- आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार कार्य निरस्त किया जा चुका है।	
3-	वार्ड 51 अम्बेडकर पार्क (सावित्री फुले महाविद्यालय के पीछे) दीवार उंची करने, रिपेयरिंग, टीन शेड लगाने व फुटपाथ बनाने का कार्य	9.45 लाख	23 जून, 2017	30 अगस्त, 2017	69 दिन	7,31,121 /-	
4-	हनुमान वाटिका बागर चौक के पास स्थित सीसी सडक पेच रिपेयर का कार्य	4.75 लाख	23 जून, 2017	30 अगस्त, 2017	69 दिन	3,99,097 /-	
5-	बागर चौक स्थित बेबी पार्क के पास सीता भवन के सामने गली में सीसी सडक का कार्य	3.80 लाख	23 जून, 2017	30 अगस्त, 2017	69 दिन	3,14,094 /-	
6-	वार्ड संख्या 51 मे अम्बेडकर पार्क से हरिजन बस्ती तक सीसी सडक पेच रिपेयर का कार्य	2.55 लाख	23 जून, 2017	30 अगस्त, 2017	69 दिन	2,18,638 /-	
7-	वार्ड संख्या 51 मे रामद्वारा की गली बागर चौक में सीसी सडक पेच रिपेयर का कार्य	5.20 लाख	23 जून, 2017	30 अगस्त, 2017	69 दिन	4,31,929 /-	
8-	वार्ड संख्या 51 मे बतासागर से गोलनाडी तक सीसी सडक पेच रिपेयर का कार्य	2.25 लाख	23 जून, 2017	30 अगस्त, 2017	69 दिन	1,92,075 /-	

निर्णय



बैठक में उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 1 से 8 में वर्णित कार्यों पर विचार विमर्श किया एवं यह पाया कि चूंकि उक्त समस्त कार्य पूर्व में प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति की प्रत्याक्षा में स्वीकृत किये जा चुके हैं। अतः बैठक में सर्व सम्मति से प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति की प्रत्याक्षा में स्वीकृत किये गये कार्यों का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: जोन पूर्व द्वारा प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति की प्रत्याक्षा में जारी निम्न कार्यादेश की स्वीकृति बाबत।

- 1 Manufacturing, supplying and Installation of statue of Maharana Pratap in zone east
- 2 Manufacturing, supplying and Installation of statue of Shri Veer teja ji in zone east
- 3 Manufacturing, supplying and Installation of statue of Haifa Hero Majaor Dalpat Singh

निम्नलिखित विकास कार्यों के कार्यादेश प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति की प्रत्याक्षा में जारी किये गये थे। जिसका कारण यह था कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में प्रभावी शिड्यूल ऑफ पावर के बिन्दु संख्या 19 के अनुसार निम्न अनुसार निविदा खोलने के पश्चात् कार्यादेश की स्वीकृति के लिए सक्षमता निम्नानुसार थी:-

S. No	Nature of Power	To Whom Delegated	Power	Remarks
19-	Bids have to finalized within mentioned period, after this period next highr authority shall exercise the power.	Authority	70 days	Time frame prescribed in rule 40(2) of RTPPR 2013 shall be strictly adhered to.
		EC	60 days	
		JDC	50 days	
		DE	40 days	
		SE	30 days	
		EE	20 days	

चूंकि निम्नांकित कार्यों में निविदा खोलने की तिथि एवं कार्यादेश जारी करने के बीच 60 दिवस से अधिक परन्तु 70 दिवस तक का समय व्यतीत हो चुका है इसलिए श्रीमान् आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण की पूर्वानुमति प्राप्त कर कार्यादेश जारी किये गये थे जिसका अनुमोदन प्राधिकरण की बैठक में करवया जाना है। जिनका कार्यों का विवरण निम्न अनुसार है:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	निविदा खोलने की तिथि	दर स्वीकृत किए जाने की तिथि	अन्तर दिवस की संख्या (कॉलम संख्या 4 व 5 का अन्तर)	कार्यादेश राशि
1	2	3	4	5	6	7
1-	Manufacturing, supplying and Installation of statue of Maharana Pratap in zone east	18.85 लाख	7 फरवरी, 2018	10 अप्रैल, 2018	63 दिन	15,94,600 /-
2-	Manufacturing, supplying and Installation of statue of Shri Veer teja ji in zone east	18.85 लाख	7 फरवरी, 2018	10 अप्रैल, 2018	63 दिवस	15,95,600 /-

dr JCS

3-	Manufacturing, supplying and installation of statue of Haifa Hero Majaor Dalpat Singh	18.85 लाख	9 मार्च, 2018	11 मई, 2018	64 दिवस	16,89,320/-
----	---	-----------	---------------	-------------	---------	-------------

निर्णय

बैठक में उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 1 से 3 में वर्णित कार्यों पर विचार विमर्श किया एवं यह पाया कि चूंकि उक्त समस्त कार्य पूर्व में प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति की प्रत्याक्षा में स्वीकृत किये जा चुके हैं। अतः बैठक में सर्व सम्मति से प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति की प्रत्याक्षा में स्वीकृत किये गये कार्यों का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति की प्रत्याक्षा में जारी किये गये कार्यादेशों की स्वीकृति बाबत।

- 1 श्रीराम नगर स्थित पार्कों का मरम्मत कार्य, फुटपाथ निर्माण व अन्य विकास कार्य।
- 2 रा.बा.उ.वि. बी.जे.एस. में साईकल स्टेण्ड शेड चार दीवारी ऊंची करने, स्टेज एवं इंटरलॉकिंग का कार्य।
- 3 बीजेएस गली नं. 09 वीर दुर्गादास पार्क में इंटरलॉकिंग टाइल्स व शौचालय का कार्य।
- 4 आर.टी.ओ. ऑफिस रोड रूपनगर कॉलोनी में स्थित पार्क में विकास कार्य।
- 5 नारी निकेतन मण्डोर में बालिका सुधार गृह के पीछे व वृद्धाश्रम (ओल्ड एज होम) के आगे गार्डन लगाने का कार्य।
- 6 बीजेएस गांधीपुरा मार्ग 05 वाया कालवी प्याऊ फाटक से आर.टी.ओ. ऑफिस तक सी.सी. सड़क का निर्माण का कार्य।
- 7 जेड.एस.ए. पार्क में फुटपाथ निर्माण कार्य एवं चारदीवारी मरम्मत एवं दूब लगाने का कार्य।
- 8 वार्ड संख्या 62 अभय नगर में डामरीकरण का कार्य।
- 9 गांधी बधिर उ.मा.वि. माता का थान में फुटबॉल मैदान का कार्य।
- 10 वार्ड संख्या 58 हनवंत सेक्टर बी बीजेएस में गली नं. 9,10,14,15,17,19,20 व लिंक रोड 09 से आर.टी.ओ. रोड तक डामरीकरण का कार्य।
- 11 आर.टी.ओ. फाटक से नट फाटक तक सी.सी. सड़क कार्य।
- 12 वार्ड संख्या 58 में जेडएसए बीजेएस में गली नं. 29,30,31 व 32 में सड़क सुदृढीकरण व नवीनीकरण का कार्य।

निम्नलिखित विकास कार्यों के कार्यादेश प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति की प्रत्याक्षा में जारी किये गये थे। जिसका कारण यह था कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में प्रभावी शिड्यूल ऑफ पावर के बिन्दु संख्या 19 के अनुसार निम्न अनुसार निविदा खोलने के पश्चात् कार्यादेश की स्वीकृति के लिए सक्षमता निम्नानुसार थी:-

(Handwritten signature)

S. No	Nature of Power	To Whom Delegated	Power	Remarks
19-	Bids have to finalized within mentioned period, after this period next highr authority shall exercise the power.	Authority	70 days	Time frame prescribed in rule 40(2) of RTPPR 2013 shall be strictly adhered to.
		EC	60 days	
		JDC	50 days	
		DE	40 days	
		SE	30 days	
		EE	20 days	

चूंकि निम्नांकित कार्यों में निविदा खोलने की तिथि एवं कार्यादेश जारी करने के बीच 60 दिवस से अधिक परन्तु 70 दिवस तक का समय व्यतीत हो चुका है इसलिए श्रीमान् आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण की पूर्वानुमति प्राप्त कर कार्यादेश जारी किये गये थे जिसका अनुमोदन प्राधिकरण की बैठक में करवया जाना है। जिनका कार्यों का विवरण निम्न अनुसार है:-

कं. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	निविदा खोलने की तिथि	दर स्वीकृत किए जाने की तिथि	अन्तर दिवस की संख्या (कॉलम संख्या 4 व 5 का अन्तर)	कार्यादेश राशि
1	2	3	4	5	6	7
1-	श्रीराम नगर स्थित पार्कों का मरम्मत कार्य, फुटपाथ निर्माण व अन्य विकास कार्य।	15.00 लाख	10 अगस्त, 2017	30 अगस्त, 2017	21 दिन	21,90,606 / -
2-	रा.बा.उ.वि. बी.जे. एस. में साईकल स्टेण्ड शेड चार दीवारी ऊंची करने, स्टेज एवं इंटरलॉकिंग का कार्य।	12.50 लाख	10 अगस्त, 2017	30 अगस्त, 2017	21 दिन	10,76,446 / -
3-	बीजेएस गली नं. 09 वीर दुर्गादास पार्क में इंटरलॉकिंग टाईल्स व शौचालय का कार्य।	18.50 लाख	22 जून, 2017	30 अगस्त, 2017	70 दिन	14,27,456 / -
4-	आर.टी.ओ. ऑफिस रोड रूपनगर कॉलोनी में स्थित पार्क में विकास कार्य।	11.00 लाख	22 जून, 2017	30 अगस्त, 2017	70 दिन	8,91,760 / -
5-	नारी निकेतन मण्डोर में बालिका सुधार गृह के पीछे व वृद्धाश्रम (ओल्ड एज होम) के आगे	2.90 लाख	22 जून, 2017	30 अगस्त, 2017	70 दिन	2,18,460 / -

(Handwritten signature)

	गार्डन लगाने का कार्य।					
6-	बीजेएस गांधीपुरा मार्ग 05 वाया कालवी प्यारु फाटक से आर.टी.ओ. ऑफिस तक सी.सी. सड़क का निर्माण का कार्य।	109.00 लाख	22 जून, 2017	30 अगस्त, 2017	70 दिन	83,47,652 / -
7-	जेड.एस.ए. पार्क में फुटपाथ निर्माण कार्य एवं चारदीवारी मरम्मत एवं दूब लगाने का कार्य।	14.00 लाख	22 जून, 2017	30 अगस्त, 2017	70 दिन	11,53,842 / -
8-	वार्ड संख्या 62 अभय नगर में डामरीकरण का कार्य।	8.50 लाख	22 जून, 2017	30 अगस्त, 2017	70 दिन	7,53,431 / -
9-	गांधी बधिर उ.मा.वि. माता का थान में फुटबॉल मैदान का कार्य।	7.58 लाख	22 जून, 2017	30 अगस्त, 2017	70 दिन	6,33,648 / -
10-	वार्ड संख्या 58 हनवंत सेक्टर बी बीजेएस में गली नं. 9,10,14,15,17,19,20 व लिंक रोड 09 से आर.टी.ओ. रोड तक डामरीकरण का कार्य।	34.40 लाख	22 जून, 2017	30 अगस्त, 2017	70 दिन	27,50,854 / -
11-	आर.टी.ओ. फाटक से नट फाटक तक सी.सी. सड़क कार्य।	64.00 लाख	22 जून, 2017	30 अगस्त, 2017	70 दिन	51,13,3772 -
12-	वार्ड संख्या 58 में जेडएसए बीजेएस में गली नं. 29,30,31 व 32 में सड़क सुदृढीकरण व नवीनीकरण का कार्य।	60.00 लाख	22 जून, 2017	30 अगस्त, 2017	70 दिन	48,26,634 / -

निर्णय

बैठक में उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 1 से 12 में वर्णित कार्यों पर विचार विमर्श किया एवं यह पाया कि चूंकि उक्त समस्त कार्य पूर्व में प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति की प्रत्याक्षा में स्वीकृत किये जा चुके हैं। अतः बैठक में सर्व सम्मति से प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति की प्रत्याक्षा में स्वीकृत किये गये कार्यों का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: बेटी गौरव उद्यान" हेतु पीपीपी मोड पर तैयार डी0पी0आर0 तकनीकी बिड एवं निविदा सूचना जारी करने की पूर्व मे दी गई स्वीकृति के अनुमोदन पर विचार

(Handwritten Signature)

प्राधिकरण द्वारा विवेक विहार योजना के सेक्टर H में स्थित सेंट्रल पार्क में "बेटी गौरव उद्यान" का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। प्राधिकरण द्वारा "बेटी गौरव उद्यान" निर्माण की डीपीआर तैयार करने एवं पीपीपी मोड पर निविदा आमंत्रित करने हेतु तकनीकी व वित्तीय बिड तैयार करने हेतु मेसर्स जै.ए.जी. डिजाईनर्स प्रा.लि. अहमदाबाद को कन्सलटेंट नियुक्त किया गया था जिनके द्वारा पूर्व में ही डीपीआर व पीपीपी मोड पर निविदा आमंत्रित करने हेतु तकनीकी व वित्तीय बिड तैयार कर प्रस्तुत की जा चुकी है।

दिनांक 18.7.18 को अध्यक्ष महोदय के कक्ष में श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, JDC महो, सचिव महोदय, निदेशक(वित्त) महोदय व निदेशक(अभि.) महोदय द्वारा एक बैठक का आयोजन कर "बेटी गौरव उद्यान" हेतु भी कन्वेंशन सेन्टर के साथ ही निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया था। उपरोक्त बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार पीपीपी मोड पर निविदा आमंत्रित करने हेतु दिनांकवार कार्यक्रम व तकनीकी बिड में मुख्यरूप से निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं।

1. Date of online receipt of the Bid	20.07.2018 (14:00 Hrs)
2. Prebid meeting	30.07.2018 (15:00 Hrs)
3. Last Date of online Submission of bid	20.08.2018 (15:00 Hrs)
4. Date of Receipt of original demand drafts of bid Security, bid fee, Processing fee & Other documents	20/08/2018 (17:00Hrs)
5. Opening of Technical bid	20/08/2018 (17:30 Hrs)

इसके अतिरिक्त प्रस्तावित पुनः निविदा जारी करने हेतु बिड समरी शीट में निम्न प्रावधान रखे गये हैं।

1. Estimated Project Cost	MDO Cost Rs 8.10 Crore ODO Cost Rs 45.90 Crore
2. Project Authorization Period including construction Period years)	60 Years(excluding construction period of 3.5
3. Construction Period For MDO& ODO MDO+24 months for ODO	18 Months for
4. Bid Security Deposit	Rs 4.05 Lakhs
5. Construction performance security	RS 25.00 Lakhs
6. Operation & maintenance Performance Security	RS 25.00 Lakhs
7. Prvisions for MDO Green Children Area for Children's,	Beti Gaurav Udhyan : MDO : Area, Landscape Park, Park/ Playing Senior Citizen Park, Yoga Garden, Flower Garden/Lawns, Jogging Track, Open Gym, Acupressure Aquarium, Ponds/ Boating/ Water Sports, Indoor Games, Common Utility appx.13500 area),
Track, Cafeteria/ Food Court, Game Zone, Open Theatre, Water	
Parking, Area, (Plot Area sqmtrs. 55% of total plot	

in *se*

8. Provisions for ODO
Public

1. Ground level Retail outlets, spaces,
2. Food courts, Gaming zone,
3. Movie Magic - 3d/4d movie theatres,
4. Business hub,
5. studio/ service apartment, plaza, etc.
6. G+5 storied structure WITH basement parking (check the GDCR)
7. Club house facilities with swimming pool, indoor sports facilities, etc. (Plot area appx.10990 sqmtrs. 45% of total plot area)

8. Provisions for ODO
Public

1. Ground level Retail outlets, spaces,
2. Food courts, Gaming zone,
3. Movie Magic - 3d/4d movie theatres,
4. Business hub,
5. studio/ service apartment, etc.
6. G+5 storied structure WITH basement parking (check the GDCR)
7. Club house facilities with swimming pool, indoor facilities, etc.

plaza,

sports
(Plot area
appx.10990 sqmtrs. 45% of total
plot area)

guidance
to design the
of components

Above components are for
only. Developer is free
RCC with their list

6. Financial eligibility criteria
(i) Minimum Average Annual Turn Over
last

for individual or group of compenies
Years

(ii) Minimum Net worth

6. Reserve Annual Premium

Rs 1.00 Crore in the

three audited financial

Rs 0.50 Crore as on 31.03.2017
as per audited balance sheet

Rs 15 Lakhs with 5% increment
every Year up to 60 Years

di *Hofe*

उपरोक्तानुसार "बेटी गौरव उधान" हेतु पीपीपी मोड पर तैयार डिपीआर तकनीकी बिड की स्वीकृति एवं निविदा सूचना जारी करने की स्वीकृति प्राधिकरण की आगामी बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में दिनांक 19.7.18 को दे दी गई थी अतः "बेटी गौरव उधान" हेतु पीपीपी मोड पर तैयार तकनीकी बिड एवं निविदा सूचना जारी करने की पूर्व में दी गई स्वीकृति के अनुमोदन हेतु प्राधिकरण की बैठक में एजेन्डा विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया तथा पाया कि यद्यपि उपरोक्त डी.पी.आर. पर कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है परन्तु उपरोक्तानुसार संशोधन कर निविदा आमंत्रित की गयी थी। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।


प्रस्ताव संख्या 13 :: राजमाता विजयाराजे सिन्धियां कन्वेंशन व हेबीटेट सेन्टर के निर्माण" पुनः निविदा आमंत्रित करने, एवं Technical bid document में निर्माण समय का संशोधन की स्वीकृति, एवं पूर्व अनुमोदित तकनीकी बिड में प्रीबिड मीटिंग एवं कोरिजेंडम आदि के द्वारा किए गए संशोधन हेतु पूर्व में दी गई स्वीकृति के अनुमोदन पर विचार

दिनांक 18.7.18 को अध्यक्ष महोदय के कक्ष में श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, JDC महो,सचिव महोदय,निदेशक(वित्त)महोदय व निदेशक(अभि.)महोदय द्वारा एक बैठक का आयोजन कर राजमाता विजयाराजे सिन्धियां कन्वेंशन व हेबीटेट सेन्टर के निर्माण के सम्बन्ध में निर्धारित दिनांक 5.7.18 को कोई निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः निविदा के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया। बाद विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि दिनांक 5.7.18 से पूर्व जो तकनीकी बिड प्रचलित थी उसे यथावत रखते हुये पुनः निविदा आमंत्रित की जावे। इस बिड में कन्सलटेंट द्वारा निर्माण समय को 2 भागों में पृथक करने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रथम भाग में कन्वेंशन सेन्टर एवं 150 कमरों का होटल को 48 माह में पूर्ण करने एवं शेष 150 कमरों का होटल हेतु अतिरिक्त 2 साल का समय करने का प्रावधान किया गया पुनः निविदा आमंत्रित करने हेतु दिनांकवार कार्यक्रम व निम्नानुसार प्रावधानों का निर्धारण किया गया।

1. Date of online receipt of the Bid	20.07.2018 (14:00 Hrs)
2. Prebid meeting	30.07.2018 (15:00 Hrs)
3. Last Date of online Submission of bid	20.08.2018 (15:00 Hrs)
4. Date of Receipt of original demand drafts of bid Security, bid fee, Processing fee & Other documents	20/08/2018 (17:00Hrs)
5. Opening of Technical bid	20/08/2018 (17:30 Hrs)

इसके अतिरिक्त प्रस्तावित पुनः निविदा जारी करने हेतु बिड समरी शीट में निम्न प्रावधान रखे गये हैं।

1. Estimated Project Cost	Rs 348.80 Crore
2. Project Authorization Period including construction Period	60 Years(excluding construction period of 4 years)
3. Construction Period For MDO	04 Years+2 years
4. Bid Security Deposit	Rs 2.436 Crore
5. Construction performance security	RS 8.04 Crore



6. Operation & maintenance Performance Security	RS	2.50 Crore
7. Two part for construction period and Five star	Part - 1 : Const. of Convention Habitat center with 150 nos category Facilitites	
rooms/suites/studio/service	boutique rooms Appx. Project	
cost as	Rs.248.0 crores in 48 months	
development	Part - 2 : Balance site	
	and remain ing 150 nos. Five star category Facilitites	
rooms/suites/studio/service	boutique rooms Appx. Project cost	
as	Rs.100.8 crores in next 24 months.	
shall be	Total Const. time permissible 72 months i.e. 6 years	
6. Financial eligibility criteria		
(i) Minimum Average Annual Turn Over last for individual or group of compenies Years	Rs 75.00 Crore in the five audited financial	
(ii) Minimum Net worth	Rs 50.00 Crore as on 31.03.2017 as per audited balance sheet	
6.Reserve Annual Premium	Rs 4.0 Crore with 5% increment every Year up to 60 Years	

उपरोक्तानुसार राजमाता विजयाराजे सिन्धियां अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन कम्प्यूनिटी हेतु पुनः निविदा जारी करने हेतु Technical bid document मे निर्माण समय का संशोधन की स्वीकृति, एवं पुनः निविदा सूचना जारी करने की अनुमति प्राधिकरण की आगामी बैठक मे अनुमोदन की प्रत्याशा मे दिनांक 19.7.18 को दे दी गई थी, चूंकि इस परियोजना की पूर्व मे स्वीकृति प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19.4.18 द्वारा जारी की गई थी। अतः पुनः निविदा आमंत्रित करने, एवं Technical bid document मे निर्माण समय का संशोधन की स्वीकृति, एवं पूर्व अनुमोदित तकनीकी बिड मे जो भी संशोधन प्रीबिड मीटिंग एवं कोरिजेंडम आदि के द्वारा किए गए उनका भी अनुमोदन प्राधिकरण की बैठक मे करवाने हेतु एजेन्डा प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया तथा पाया कि यद्यपि उपरोक्त डी.पी.आर. पर कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है परन्तु उपरोक्तानुसार संशोधन कर निविदा आमंत्रित की गयी है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 326 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा 10

Dr. H. S. S.

बिस्वांशी भूमि के संबंध में। (प्रकरण संख्या 20/2017 आवेदक श्रीमती संध्या चौधरी पत्नि श्री सुखराम चौधरी व श्रीमती नीलम पत्नि श्री मदन गोपाल चौधरी, निवासी- 570, तुलसी सदन, डिफेन्स लैब रोड़, रातानाड़ा, जोधपुर।)

आवेदकगण द्वारा ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 326 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक-29.9.2017 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुई है।

आवेदित भूमि मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 के अन्तर्गत यू-2 में आरक्षित है। मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 के अनुसार "Non Pollutiong Eco Freindly Industries (Area Not Less Than 1.0 Hac-) May Be Considered By Statutory Coimtee. Any Other Category Of Industry With Permission Of Rajasthan State Pollution Control Board With EIA " आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 5985 व.मी. है। जो कि 01 हैक्टेयर से कम है।

आवेदित उक्त भूमि में मौके पर क्रेशर प्लान्ट निर्मित होकर चालू है। मौके पर लगभग 20 फीट रास्ता चालू है। उक्त मार्ग सरकारी/खातेदारी भूमि में से है। जिसके संबंध में उपखण्ड अधिकारी लुणी के आदेश क्रमांक 213 दिनांक 29.06.2018 अनुसार खातेदारी भूमि में से आम रास्ते की भूमि के लिये सहमति से छोड़ा गया रकबा को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में अमल दरामद करे तथा राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शा में उपरोक्त खसरा की भूमि का रकबा मूल खसरा की भूमि से क्रय करते हुये रेकॉर्ड का संधारण करने का निर्णय लिया गया। उक्त खसरे में से एच. टी. लाईन गुजर रही है। आवेदित भूमि से मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100' सड़क गुजरती है। प्रस्तावित भूमि के बिल्कुल सामने खनन कार्य हो रहा है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक- 26.02.2013 के अनुसार 1500 व.मी. से अधिक हेतु 24 मी. सड़क अपेक्षित है। प्राधिकरण द्वारा बी.पी.सी. (एल.पी.) बैठक दिनांक- 15.2.2018 में समिति में रखा जाकर समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1- तहसीलदार लूणी को पत्र लिखा जावे कि आवेदित भूमि तक राजस्व रिकॉर्ड में कितने फीट का कटाण/राजस्व रास्ता उपलब्ध है, तथा यदि उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है तो नियमानुसार दर्ज कर चौड़ाई से अवगत करावे। जिसके क्रम में प्राधिकरण द्वारा तहसीलदार, लूणी को पत्र लिखा गया जिसका प्रत्युत्तर अभी तक अपेक्षित है।

2- उक्त प्रकरण को न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल (1 हैक्टेयर) से कम होने के कारण शिथिलता हेतु एम्पावर्ड कमेटी में रखा जावे। जिसके क्रम में प्रकरण को प्राधिकरण की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक- 14.06.2018 में रखा गया। उक्त बैठक में प्रकरण को आगामी कार्यकारी समिति/प्राधिकरण बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अतः प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया एवं प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार प्रकरण में बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से शिथिलता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: श्री दलपतसिंह, कॉआर्डिनेटर, जोधपुर स्टेट फोर्सिस, वार

ds *slaf*

मेमोरियल कमिटी, बी.जे.एस. एज्युकेशन सोसायटी, को वार्ड
मेमोरियल निर्माण हेतु भूमि गोद देने बाबत।

श्री दलपतसिंह, कॉआर्डिनेटर, जोधपुर स्टेट फोर्सिस, वार मेमोरियल कमिटी, बी.जे.एस. एज्युकेशन सोसायटी, जोधपुर द्वारा दिनांक 02/08/2018 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर रेजीडेन्सी रोड पर "शहीद भगतसिंह स्टेच्यू" एवं "शहीद स्मारक" के मध्य भूमि को जोधपुर स्टेट फोर्सिस वॉर मेमोरियल हेतु गोद देने का निवेदन किया गया है। प्रार्थना-पत्र अनुसार उक्त भूमि गोद लेकर भूमि पर वॉर मेमोरियल का निर्माण करवायेंगे एवं उसका रख-रखाव करेंगे।

प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दिनांक 13/08/18 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में शहीद स्मारक व शहीद भगतसिंह की मूर्ति स्थल के बीच रिपोर्ट अनुसार 42'-10" X 68'-6" भूमि रिक्त पड़ी है। भूमि के बीचों बीच एक कुण्ड निर्मित है, जिसमें किसी भी तरह का फव्वारा या लाईट नहीं लगी हुई है।

अतः प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।


निर्णय

बैठक में श्री दलपतसिंह, कॉआर्डिनेटर, जोधपुर स्टेट फोर्सिस, वार मेमोरियल कमिटी, बी.जे.एस. एज्युकेशन सोसायटी, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर विचार विमर्श किया गया। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से सैद्धान्तिक रूप से गौरव पथ पर स्थित शहीद स्मारक एवं शहीद भगतसिंह की प्रतिमा (मूर्ति) के बीच रिक्त पड़ी भूमि पर वार मेमोरियल निर्माण करवाने के लिए सहमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण की ड्राईंग, डिजाईन आदि का निदेशक-अभियांत्रिकी के स्तर से परीक्षण कर अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा जिससे कि वर्तमान में निर्मित प्रतिमा (मूर्ति) एवं स्मारक पर किसी प्रकार का कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़े। नक्शे के अनुमोदन के पश्चात् निर्माण कार्य के दौरान संबंधित अधिशाषी अभियन्ता की देखरेख में उक्त कार्य आवेदक संस्था द्वारा करवाया जावेगा। संपूर्ण निर्माण में किसी भी प्रकार कोई वित्तीय सहयोग प्राधिकरण द्वारा वहन नहीं किया जावेगा व निर्माण के पश्चात् उक्त स्थल एवं शहीद भगतसिंह की प्रतिमा (मूर्ति), शहीद स्मारक एवं आवेदक संस्था द्वारा कराये गये निर्माण तीनों स्थलों का रखरखाव आवेदक संस्था द्वारा ही किया जावे इस बाबत जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों व प्रारूप में आवेदक संस्था एवं प्राधिकरण के मध्य एम.ओ.यू. निष्पादित किया जावेगा जिसकी पालना नहीं करने पर शर्तों में वर्णित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रस्ताव संख्या 16 :: श्री धन्नाभगत महाराज एवं श्री वीर तेजाजी सेवा संस्थान शिव गांव भाकर ग्राम पंचायत कालीजाल, तहसीज लूणी, जिला जोधपुर के खसरा न. 311 गै.मु. भाकर में से 30 बीघा भूमि बालिका विद्यालय हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(43)नविवि/जोधपुर/2015 दिनांक 24.05.2018 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में संस्था से 15 बीघा भूमि आवंटन के लिए भूमि आवंटन नीति-2015 के अंतर्गत निर्धारित चैकलिस्ट में मय सुसंगत दस्तावेज स्पष्ट प्रस्ताव विभाग को भिजवाने के निर्देश दिये गये थे।

जिसके क्रम में प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1005 दिनांक 06.06.2018 के द्वारा संस्था को नवीनतम दस्तावेजों की पूर्ति हेतु लिखा गया था। दिनांक 14.06.2018 को



संस्था द्वारा दस्तावेज प्राधिकरण कार्यालय में पेश किये गये। जिसमें संस्था द्वारा 30 बीघा भूमि कीमतन आवंटन की मांग की गई।

संस्था द्वारा पेश किये गये दस्तावेज के अनुसार तैयार की गई भूमि आवंटन बाबत निर्धारित मापदण्डों की चैकलिस्ट:-

आवेदक का नाम/पता	आवेदक:-श्री बालुराम चौधरी अध्यक्ष-श्री धन्नाभगत जी महाराज एवं वीर तेजाजी सेवा संस्थान पता:- राजस्व ग्राम शिवगांव ग्राम-पंचायत कालीजाल तहसील लूणी जिला जोधपुर
भाहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	राजस्व ग्राम शिवगांव ग्राम-पंचायत कालीजाल तहसील लूणी जिला जोधपुर
चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नं., क्षेत्रफल आदि)	राजस्व ग्राम शिवगांव ग्राम-पंचायत कालीजाल तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा संख्या 311 रकबा 213.19 बीघा किस्म गै.मु. भाकर
आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी कमांक 30/जोधपुर/2008-09 दिनांक 31.05.2008 संस्था का नाम:-श्री धन्नाभगत जी महाराज एवं वीर तेजाजी सेवा संस्थान, रजिस्ट्रार (संस्था) जोधपुर
संस्था का गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17
संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण	संस्था के पत्र दिनांक 14.06.2018 के अनुसार वर्ष 2008 में कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा आवंटित की गई भूमि में मंदिर का निर्माण, हवन कुण्ड एवं समाज के सभी वर्गों के लिए सामुहिक हॉल, वाटिका, स्वच्छ हवा के लिए पौधारोपण आदि कार्य किये गये। वर्तमान में संस्था द्वारा नशा मुक्ति शिविर लगाना, मेडिकल कैम्प लगाना, शिक्षा से पिछड़े परिवारों को शिक्षा के लिए जागरूक करना, पौधारोपण करना एवं पर्यावरण संवर्धन करना, पिछड़े छात्रों के लिए अलग से निःशुल्क कौचिंग क्लासे लगाना व निःशुल्क शिक्षा देना।
चाही गई भूमि के उपयोग बाबत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण	संस्था द्वारा कनिष्ठ अभियंता (सिविल) द्वारा प्रमाणित परियोजना रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें 4 करोड़ रु. खर्च होना दर्शाया गया है। संस्था द्वारा प्रस्तावित कार्य को पूर्ण करने हेतु सभी वर्गों के दान दाताओं एवं भामाशाहों तथा संस्था की आय द्वारा अर्जित कर लेना बताया गया है। दिनांक 31.03.2017 को संस्था की बैलेन्स शीट में एफडीआर एवं कैश इन हैंड में रु. 1,16,48,914/- (अक्षरे एक करोड़ सौलह लाख अड़तालीस नौ सौ चौदह रुपये मात्र) दर्शाया गया है।

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा।	दिनांक 14.06.2018 को संस्था द्वारा पेश किये गये पत्र के अनुसार समाज के सभी वर्गों एवं आर्थिक
--	--

2

10

	रूप से कमजोर परिवार की बालिकाओं को शिक्षा प्रदान कराना एवं जागरूक करना।
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत नोर्मस	आवंटन नीति-2015 में शैक्षणिक संस्थाओं हेतु माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय हेतु संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम 4000 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन का प्रावधान है। संस्था द्वारा निरन्तर 30 बीघा भूमि आवंटन की मांग की जा रही है। संस्था के पत्र के अनुसार राजस्व ग्राम शिवगांव एवं आस पास के 90 गांवों में बालिकाओं के अध्ययन हेतु विद्यालय का अभाव है। बालिकाओं के अध्ययन के समुचित अवसर उपलब्ध नहीं है। बालिकाओं को उच्च अध्ययन हेतु बालोतरा या जोधपुर जाना पड़ता है जो कि गरीब परिवार की बालिकाओं को अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ता है जिससे बालिकायें उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है। इसलिए 30 बीघा भूमि आवंटन की मांग की जा रही है।
क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी भाहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	हां, संस्था को दिनांक 11.08.2008 में कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा राजस्व ग्राम शिवगांव ग्राम पंचायत कालीजाल के खसरा नं. 311 में 10 बीघा भूमि सामाजिक उत्थान एवं विकास कार्यो एवं भवन व वृक्षारोपण इत्यादि के लिए आवंटित की गई थी। निकाय का नाम:-कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर आवंटन की दिनांक 11.08.2008 व आवंटित क्षेत्रफल-10 बीघा
संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	वर्ष 2008 में कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा उपरोक्त संस्थान को राजस्व ग्राम शिवगांव को 1 एकड़ भूमि डीएलसी दर की 50 प्रतिशत की दर से एवं 7.10 बीघा भूमि डीएलसी दर 7600/- रु.प्रति बीघा की दर से कुल 10 बीघा भूमि आवंटित की गई थी।
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर के पत्र क्रमांक 4370 दिनांक 11.07.2016 के अनुसार आवेदक संस्था द्वारा जरिये चालान संख्या 409 दिनांक 21.08.2008 के द्वारा राशि 66500/- राज्यकोश में तहसीलदार लूणी के माध्यम से जमा करवाये गये थे। वर्तमान में आवेदक संस्था द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत दिनांक 05.01.2016 को प्रपत्र 'अ' के साथ आवेदन शुल्क राशि 5000/- जरिये रसीद क्रमांक 9001/10281 दिनांक 26.02.2016 के द्वारा प्राधिकरण कोष में जमा कराये गये है।
चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	दिनांक 23.11.2016 को पटवारी (दक्षिण) की रिपोर्ट अनुसार चाही गई भूमि मौके पर रिक्त है। भूमि अविकसित है।
चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	दिनांक 30.07.2018 पटवारी(दक्षिण) की रिपोर्ट अनुसार भूमि ग्रामीण डामर सड़क पर स्थित है जिसकी उपलब्ध चार दीवारी सड़क के मध्य बिन्दु से

2

	50 फीट की दूरी पर स्थित है। कार्यालय उपपंजीयक झंवर (जोधपुर) बैठक दिनांक 07.06.2017 की प्रभारी दिनांक 15.06.2017 की प्रति के अनुसार गांव शिव की कृषि भूमि की बाजार दर अन्य सड़क पर सिंचित रू. 125000/- एवं असिंचित अनुमोदित डी.एल.सी. की दर रू. 60,000/- प्रतिबीघा निर्धारित है एवं राष्ट्रीय/राज्य मार्ग एवं जिन खसराओं को डी.एल.सी. में चिन्हित कर दर निर्धारित कर दी है, उनको छोड़कर 60 फीट एवं 60 फीट अधिक सड़क चौड़ी होने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा
चाही गई भूमि नगर निगम/नगर परिशद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 311 राजस्व ग्राम शिवगांव मास्टर प्लान-2031 (प्रारूप) के अनुसार भू-उपयोग रूरल एरिया में स्थित है। उक्त खसरा विशेष पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं है परन्तु DCR में रूरल एरिया में संस्थानिक उपयोग अंकित नहीं है।
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साख संबंधी विवरण	संस्था द्वारा 50 रू. का नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर पदाधिकारी/सदस्य/प्रमोटर्स का विवरण दिया गया।
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	संस्था के पत्र दिनांक 14.06.2018 के अनुसार भारत सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत कार्य नहीं किया जा रहा है।
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	संस्था के पत्र दिनांक 14.06.2018 के अनुसार भारत सरकार अथवा अन्य किसी वित्तीय संस्था के किसी योजना अंतर्गत कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं की जा रही है।
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	दिनांक 19.12.2017 को संस्था द्वारा औचित्य के संबंध में निम्नानुसार जवाब पेश किया गया:- "प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 531 दिनांक 12.12.2017 में उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय हेतु 4000 . 1000 वर्गमीटर तक जमीन आवंटन कर सकते हैं। चूंकि यह जमीन भविष्य के लिए कम है क्योंकि इस क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्र के करीबन 15 ग्राम पंचायत मुख्यालय व 70-80 गांवों के केन्द्र बिन्दु होने के कारण व इस क्षेत्र के आस-पास 70-80 गांवों में बालिका विद्यालय की सुविधा नहीं है जो कि जोधपुर से बालोतरा के बीच में पढने वाली लड़कियां 8वीं कक्षा पास कर घर बैठ जाती है इसलिए इस संस्था ने निर्णय लिया है कि इन 70-80 गांवों का केन्द्र बिन्दु होने के कारण इन बालिकाओं को अच्छी शिक्षा का अवसर मिले और यह 30 बीघा जमीन आवंटन होने पर संस्था द्वारा हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम चलाने का निर्णय लिया व भविष्य में आगे सरकार से निवेदन करके बालिका विश्वविद्यालय की स्वीकृति

2

	लेने का काम करेंगे जो कि भविष्य में बालिकाओं को गांव छोड़कर शहर की तरफ न जाना पड़े इसलिए यह शिक्षण संस्थान इस संस्था द्वारा चलाने के लिए प्राप्त धनराशि उपलब्ध है”
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के संबंध में विवरण	संस्था द्वारा रियायत दर पर आवंटन नहीं चाहा गया है। संस्था द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र के अनुसार संस्था द्वारा आवंटन प्रचलित आरक्षित दर 15 प्रतिशत अथवा डीएलसी दर 20 प्रतिशत पर कीमतन आवंटन चाहा गया है।
यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में नहीं आती है।
आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	<p>1. आवंटन नीति-2015 के बिन्दु संख्या 2.9 में (1)(2) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय शैक्षणिक संस्थाओं को संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन का प्रावधान है। संस्था द्वारा निरन्तर निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक 30 बीघा भूमि आवंटन की मांग की जा रही है। अतः राज्य सरकार से निर्धारित क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल की स्वीकृति अपेक्षित है।</p> <p>2. आवंटन नीति-2015 के बिन्दु संख्या 6.3 में “किसी भी संस्था के लिए आवंटन की विशेष रियायती दर राज्य सरकार द्वारा आदेशित हो जाने के बाद उसके द्वारा अपनी परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि की मांग नहीं की जायेगी और यदि वह आवंटित भूमि से लगती हुई अतिरिक्त भूमि की मांग करता है तो आवंटित की जाने वाली भूमि पर कोई अतिरिक्त छूट देय नहीं होगी तथा यह आवंटन प्रचलित आरक्षित दर अथवा डी.एल.सी. 20 प्रतिशत जैसी भी स्थिति हो किया जायेगा, का प्रावधान रखा गया।” वर्ष 2008 में कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा उपरोक्त संस्थान को राजस्व ग्राम शिवगांव को 1 एकड़ भूमि डीएलसी की 50 प्रतिशत की दर से एवं 7.10 बीघा भूमि डीएलसी दर 7600/- रु.प्रति बीघा की दर से कुल 10 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। संस्था को वर्ष 2008 में जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा खं.सं. 311 में भूमि आवंटित की गई थी। संस्था द्वारा शेष रहे रकबे में से पुनः 30 बीघा भूमि आवंटन की मांग की जा रही है।</p> <p>3. आवंटन नीति-2015 के बिन्दु संख्या 6.4 में “जिस</p>

	<p>संस्था को रियायती दर पर भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित है, उसको पूर्व में उसी शहर में भूमि आवंटन नहीं होना चाहिये, इस शर्त में छूट राज्य सरकार के स्तर पर दी जा सकेगी।”</p> <p>संस्था को वर्ष 2008 में जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा खं.सं. 311 में भूमि आवंटित की गई थी। संस्था द्वारा शेष रहे रकबे में से 30 बीघा भूमि आवंटन की मांग की जा रही है। अतः इस शर्त में छूट राज्य सरकार के स्तर पर दी जा सकती है।</p> <p>4. प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 05.08.2016 के प्रस्ताव संख्या 10 में राज्य सरकार के नवीन आवंटन नीति-2015 के क्रम में 6000 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल के मापदण्ड के अनुरूप प्रकरण नियमानुसार तैयार कर राज्य सरकार को प्राधिकरण की अनुशंखा के साथ प्रेषित करने का निर्णय लिया गया था चूंकि संस्था द्वारा निरन्तर 30 बीघा भूमि आवंटन की मांग की जा रही है।</p> <p>माननीय अध्यक्ष महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 30 बीघा भूमि आवंटन आगामी प्राधिकरण बोर्ड बैठक की प्रत्याशा में अनुमोदन कर राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया है।</p>
<p>क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।</p>	<p>नहीं</p>
<p>अन्य विवरण</p>	<p>संयुक्त शासन सचिव-तृतीय नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 24.05.2018 के द्वारा 15 बीघा भूमि आवंटन का प्रस्ताव निर्धारित चैक लिस्ट में राज्य सरकार को भिजवाने के आदेश दिये गये। जिसके क्रम में अध्यक्ष श्री धन्नाभगत जी महाराज एवं वीर तेजाजी महाराज सेवा संस्थान द्वारा दिनांक 13.08.2018 को सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष पत्र पेश कर 30 बीघा भूमि बालिका विद्यालय (शैक्षणिक प्रयोजनार्थ) हेतु कीमतन आवंटन की मांग की गई है।</p>

कार्यालय टिप्पणी के पैरा एन/245 व 246 पर अध्यक्ष महोदय एवं आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव को आगामी प्राधिकरण बोर्ड बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने के आदेश दिये गये है।

अतः प्राधिकरण के पत्र क्रमांक एफ-46/आवंटन (दक्षिण)/2018/1144 दिनांक 20.08.2018 के द्वारा प्रस्ताव निर्धारित चैक लिस्ट मय दस्तावेज नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को कीमतन भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया।

अतः प्रकरण बैठक में उचित निर्णयार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

ds 

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया। पूर्व में राज्य सरकार को प्राधिकरण के पत्र क्रमांक एफ 46/आवंटन (दक्षिण)/ 2018/ 1144 दिनांक 20 अगस्त, 2018 के द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय एवं आयुक्त महोदय के अनुमोदन पश्चात् प्राधिकरण की प्रत्याक्षा में राज्य सरकार को भिजवाया गया है। जिसे बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 :: जोन पूर्व द्वारा प्राधिकरण बैठक की प्रत्याशा में जारी किये गए कार्यादेश एफ38 (43)2018-19 अरोडा सर्किल से पीली टंकी पाली रोड तक सडक चौड़ाई बढ़ाने का कार्य की स्वीकृति बाबत।

निम्नलिखित विकास कार्यों के कार्यादेश प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति की प्रत्याक्षा में जारी किये गये थे। जिसका कारण यह था कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में प्रभावी शिड्यूल ऑफ पावर के बिन्दु संख्या 19 के अनुसार निम्न अनुसार निविदा खोलने के पश्चात् कार्यादेश की स्वीकृति के लिए सक्षमता निम्नानुसार थी:-

S. No	Nature of Power	To Whom Delegated	Power	Remarks
19-	Bids have to finalized within mentioned period, after this period next highr authority shall exercise the power.	Authority	70 days	Time frame prescribed in rule 40(2) of RTPPR 2013 shall be strictly adhered to.
		EC	60 days	
		JDC	50 days	
		DE	40 days	
		SE	30 days	
		EE	20 days	

चूंकि निम्नांकित कार्यों में निविदा खोलने की तिथि एवं कार्यादेश जारी करने के बीच 60 दिवस से अधिक परन्तु 70 दिवस तक का समय व्यतीत हो चुका है इसलिए श्रीमान् आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण की पूर्वानुमति प्राप्त कर कार्यादेश जारी किये गये थे जिसका अनुमोदन प्राधिकरण की बैठक में करवया जाना है। जिनका कार्यों का विवरण निम्न अनुसार है:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	निविदा खोलने की तिथि	दर स्वीकृत किए जाने की तिथि	अन्तर दिवस की संख्या (कॉलम संख्या 4 व 5 का अन्तर)	कार्यादेश राशि
1	2	3	4	5	6	7
1-	जोन पूर्व द्वारा प्राधिकरण की बैठक की प्रत्याशा में जारी किये गए कार्यादेश एफ38 (43) 2018-19 अरोडा सर्किल से	236.15 लाख	13 जून, 2018	16 अगस्त, 2018	65 दिन	189.32 लाख

पीली टंकी पाली रोड तक सडक चौड़ाई बढ़ाने का कार्य की स्वीकृति बाबत।					
--	--	--	--	--	--

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श गया। चूंकि उक्त कार्यों के लिए प्राधिकरण की प्रत्याक्षा में दर स्वीकृति दी गयी है एवं एजेण्डा अनुसार उक्त स्वीकृति प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी की गयी थी। अतः बैठक में उपरोक्त तालिका में वर्णित कार्य की प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी अनुमति का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 :: ग्राम बडली में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत स्वीकृत प्रोजेक्ट 3152 आवासों के लिए पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप प्रोजेक्ट को 1200 आवासों के लिए संशोधित करने की अनुमति बाबत।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण ने अपने क्षेत्राधिकार की भूमि ग्राम बडली खसरा संख्या 88 में बीघा पर योजना के प्रावधान संख्या 4A अनुरूप जारी Expression of Interest निविदा सूचना संख्या 42/2016-17 दिनांक 27.09.2016 द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के लिए आवासीय योजना की निविदा जारी की थी। निविदा के नियमानुसार मैसर्स नीला इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, अहमदाबाद सफल निविदाकर्ता रहें एवं मैसर्स नीला इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, अहमदाबाद को उनकी दर रूपये 891/- प्रति सुपर बिल्ट क्षेत्र Negotiated पर कार्य करने हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृत दर Negotiated रूपये 891/- प्रति सुपर बिल्ट अप क्षेत्र पर 3152 आवास निर्माण करने हेतु एक अनुबंध Contract Agreement दिनांक 12/10/2017 को मैसर्स नीला इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, अहमदाबाद व जोधपुर विकास प्राधिकरण के मध्य सम्पादित किया गया। 26/01/2017 से पात्र आमजन से आवास आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये। 3152 आवासों के विरुद्ध दिनांक 31/03/2018 तक 1066 आवेदन प्राप्त हुए। राज्य सरकार से Notification प.18(36)नविवि/NAHP/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 20.02.2018 में यह स्पष्ट किया गया कि यदि निर्धारित समय में पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो विकासकर्ता को शेष अप्राप्त आवेदन संख्या के लिए "पहले आओ-पहले पाओ" की तर्ज पर आवंटन करने के अधिकार दिये जावें। विभागीय आदेश दिनांक 24.07.2017 में प्राप्त आवेदनों में से लॉटरी के माध्यम से आवंटन किये जाने के पश्चात्, आवंटन से शेष आवासों का आवंटन "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर विकासकर्ता द्वारा किया जाने को मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के सभी प्रावधानों पर लागू किया जाता है।

विभागीय ओदशों की अनुपालना में मैसर्स नीला इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि. को जोधपुर विकास प्राधिकरण के पत्रांक JDA/CMJAY/1189 दिनांक 04.05.2018 द्वारा शेष आवासों के लिए "पहले आओ पहले पाओ" के तहत आवेदन आमंत्रित करने अथवा जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पात्र आवेदकों से अब तक प्राप्त 1066 आवेदन के अनुरूप संशोधित ले-आउट प्लान अनुमोदित करवाकर कार्य सम्पादन किये जाने हेतु Negotiated दर रूपये 891/- प्रति सुपर बिल्ट अप क्षेत्र कार्य करने हेतु अपनी सहमति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। श्रीमान् आयुक्त महोदय के कक्ष में हुई बैठक अनुरूप मैसर्स नीला इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि. ने अपने पत्र क्रमांक NILA/PROJ/18-19/0918-01 दिनांक 18.09.2018 को विकल्प संख्या 2 के अनुरूप 1216 आवासों के निर्माण के लिए अपनी सहमति दी है। प्रकरण मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत ग्राम बडली में पूर्व निर्धारित 3152 आवासों के विरुद्ध संशोधित मांग अनुरूप

1216 आवासों के निर्माण की स्वीकृति के संबंध में अब तक जारी स्वीकृति एवं प्रस्तावित नवीन आवास संख्या निम्न सारणी अनुरूप

विवरण	पूर्व में अनुमोदित	नवीन प्रस्तावना
कुल आवास	3152	1216
कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	12,04,130	4,73,794
EWS Flat संख्या	2128	768
LIG Flat संख्या	1024	448

विवेचन उपरांत निम्न बिन्दुओं पर सक्षम स्तर प्राधिकरण बैठक में निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत हैं-

1. पूर्व निर्धारित ले-आउट अनुरूप 3152 आवासों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों 1216 के लिए आवास निर्माण योजना की संशोधित स्वीकृति हेतु।
2. संशोधित योजना अनुरूप 1216 आवासों के ले-आउट प्लान के संशोधित स्वीकृति के संबंध में।
3. संशोधित योजना अनुरूप 1216 आवासों के ले-आउट प्लान के अनुसार संशोधित पूरक अनुबंध संपादन हेतु।
4. संशोधित योजना अनुरूप 1216 आवासों के ले-आउट प्लान के अनुसार संशोधित DPR तैयार किये जाने के संबंध में।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मैसर्स नीला इन्फ्रा स्ट्रैक्चर लिमिटेड को पूर्व में ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में 3152 आवासों के निर्माण की जो अनुमति जारी की गयी थी, उसके स्थान पर पूर्वानुसार नेगोशिएटेड दर रूपये 891 प्रति वर्ग फीट का नवीन प्रस्ताव के अनुसार 1260 आवासों के निर्माण के लिए प्राधिकरण द्वारा संशोधित अनुमति प्रदान की जाती है एवं इस अनुरूप संशोधित ले-आउट स्वीकृत करने का निर्णय लेते हुए निदेशक-आयोजना को निर्देशित किया गया। साथ ही प्राप्त आवेदनों की तत्काल लॉटरी संपूर्ण कर संशोधित पूरक अनुबंध सम्पादन एवं संशोधित डी.पी.आर. तैयार करने एवं उसे स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 19 :: जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 (प्रारूप) में मिश्रित भू-उपयोग की डी.सी.आर. के प्रारूप पर चर्चा।

श्रीमान् निदेशक आयोजना द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार एवं वार्तानुसार जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 (प्रारूप) में मिश्रित भू-उपयोग, कारपोरेट पार्क आदि की डी.सी.आर नहीं बनी हुई है। उक्त के कम में मिश्रित भू-उपयोग की डी.सी.आर का प्रारूप निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

MIXED LAND USE

The following use premises are permissible in this land use after approval of the competent Authority

Minimum road width and use premises			
Uses	18m (60')	24m (80')	30m (100' & above)
Residentia	Guest House (including	Flats / Apartment	Townships (above 2

Li

Handwritten signature

1	lodging house) irrespective of no. of rooms, Affordable Housing		hec.), Group Housing
Commercial	Bank, Fitness Center (including Gymnasium, Yoga/Meditation Center, Beauty Parlor, Dressing Saloons) & Dancing Class Center, Retails/Service Shops (individual shop area not more than 20 sq mt)	Commercial Offices, Hotels, Restaurant, Resort, Motel, Showrooms, Service Stations	Mall, Multiplex, Cinema Hall, Petrol Pumps, Commercial Complex, Wholesale Market, Marriage Garden, Banquet Hall
Recreational	Park, Nursery, Orchard	Indoor & Outdoor Stadiums, Playgrounds, Mela Grounds, Golf Course	Amusement Park, Recreational Club, Water Park
Institutional / Public and Semi Public	Educational Nursery, Primary, Middle Schools, Coaching Centre, Training Centre and Institute	Educational Secondary, Senior Secondary Schools	Educational College, University, Professional Institution
	Medical Nursing Home, Clinic, Dispensary, Pathology Lab, Diagnostic Center, Hospital (upto 20 beds)	Medical Hospital (upto 60 beds)	Medical Hospital (Above 60 beds)
		Dharamsalas, Community Centre, Religious Building	Auditorium, Art Gallery, Exhibition Centre, Museum, Conventional Centre
Governmental / Public Utilities	On all roads after approval from competent authority		

Note:-

1. Any trade or activity involving any kind of obnoxious, hazardous, inflammable, non compatible & polluting substance or process shall not be permitted.
2. The following activities shall not be allowed under mixed land use such as: Retail shop of building materials timber products (excluding furniture) marble, iron & steel, gravel, cement & sand etc.
3. The conversion charges shall be as per commercial conversion rates.

उपरोक्तानुसार मिश्रित भू-उपयोग की डी.सी.आर का प्रारूप अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ पश्चात् आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

2. 10/1/19

बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि उन्हें जे0डी0ए0 बार एसोसिएशन द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें यह निवेदन किया गया है कि जोधपुर मास्टर प्लान 2031 में मिश्रित भू-उपयोग के डी0सी0आर0 के साथ साथ कारपोरेट पार्क, फेस्टिवल सिटी, नॉलेज सिटी एवं स्पोर्ट्स सिटी आदि अन्य प्रकरणों की डी0सी0आर. शेष है, उनकी भी डी0सी0आर0 एक साथ तैयार की जावे। बाद विचार विमर्श यह पाया कि वर्तमान में मिश्रित भू-उपयोग की डी.सी.आर. तैयार हो चुकी है। अतः प्रस्ताव अनुसार उक्त डी0सी0आर0 को सर्व सम्मति से अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया एवं शेष डी0सी0आर0 के लिए निदेशक-आयोजना को निर्देशित किया गया कि अन्य शेष डी.सी.आर. तैयार कर आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत करावें। उक्त नवीन डी.सी.आर. के लिए अनुमोदन/निर्णय के लिए कार्यकारी समिति को अधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 20 :: ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 14/6 में नृसिंह दडा रघुनाथ जी वीर तेजाजी विकास एवं सेवा संस्थान को भूमि आवंटन के संबंध में।

दिनांक 01.05.2018 को सचिव, श्री नृसिंह दडा रघुनाथ जी वीर तेजाजी विकास एवं सेवा संस्थान बोरानाडा जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित प्रार्थना-पत्र 'प्रपत्र-अ', चैकलिस्ट(परिशिष्ट-1) के साथ आवश्यक दस्तावेज पेश कर ग्राम बोरानाडा तहसील लूणी के खसरा नं. 14/6 रकबा 2.16.10 बीघा यानि (4576 व.मी.) की कब्जासुदा रिक्त भूमि पर सामुदायिक केन्द्र, धर्मशाला, वृद्धाश्रम एवं निर्मित मंदिर को नियमितीकरण करते हुए भूमि आवंटन की मांग की गई है।



तहसीलदार व पटवारी (दक्षिण) जो.वि.प्रा. की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि रीको क्षेत्र में स्थित है। मौके पर संस्था का चार दीवारी, मंदिर, चबूतरा, टिनसेट तथा सघन वृक्षारोपण किया हुआ पाया गया तथा उस सम्पूर्ण भूमि पर संस्था का कब्जा है।

तहसीलदार (लूणी) ने अपने पत्रांक भूअ./2018/606 दिनांक 05.02.2018 द्वारा जिला कलक्टर महोदय जोधपुर को प्रस्तावित भूमि को जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को हस्तान्तरित किये जाने का निवेदन किया गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण एक्ट की धारा-48 के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अधिसूचित (नोटिफाइड) में जोधपुर विकास प्राधिकरण में एक्ट के अनुसार सम्पूर्ण भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिसूचना जारी होते ही जोधपुर विकास प्राधिकरण में निहित होने के कारण एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 103(3) के तहत आवेदित भूमि भी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में निहित हो चुकी है। अतः तहसीलदार लूणी से प्राप्त प्रस्तावानुसार ग्राम बोरानाडा तहसील लूणी के खसरा नं. 14/6 रकबा 2.16.10 बीघा भूमि जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक प.12(3) राज/हस्ता./जेडीए/2018/ 580-584 दिनांक 19.02.2018 के द्वारा विभिन्न शर्तों के साथ रीको से जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित की गई।

संस्था द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज के अनुसार तैयार की गई चैक लिस्ट निम्नानुसार है:-

चैक लिस्ट

क्र.स	विषय वस्तु	विवरण अंकित करें
1.	आवेदन-पत्र का प्रारूप (✓) का निशान लगावे	आवेदक द्वारा प्रपत्र अ में आवेदन किया गया है।

2	आवेदित संस्था का नाम एवं पता अंकित करें	श्री नृसिंह दड़ा रघुनाथ जी वीर तेजाजी विकास एवं सेवा संस्थान, पता- आम चौहटा वैष्णव बस्ती, बोरानाडा, जोधपुर
3	संस्था का रजिस्ट्रेशन का विवरण अंकित करें	रजिस्ट्रेशन क्रमांक 213 एवं दिनांक 30.11.2004 रजिस्ट्रेशन करने वाले पदाधिकारी:-श्री घेंवरराम रजिस्ट्रार जोधपुर
4	आवेदित भूमि का विवरण अंकित करें (अ) ग्राम :- (ब) ख.नं. (स) कुल रकबा (द) किस्म (य) आवेदित रकबा	ग्राम:- बोरानाडा खसरा नं.:- 14/6 कुल रकबा:- 193.02 बीघा किस्म :- गै.मु. गोचर आवेदित रकबा :- 2.16.10 बीघा यानि 4576 वर्गमीटर
5	भूमि आवंटन का प्रयोजन अंकित करें	संस्था ने प्रपत्र-अ में सामुदायिक सेवा संस्थान हॉल निर्माण हेतु आवंटन चाहा है एवं चैकलिस्ट में सामुदायिक केन्द्र, धर्मशाला, वृद्धाश्रम प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन चाहा गया है। मौके पर संस्था का कब्जा वर्ष 2004 से है तथा मौके पर चार दीवारी मंदिर, चबूतरा, टिनसेड व वृक्षारोपण पाया गया।
6-	निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें। i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपी ii. बाईलॉज/रेग्यूलेशन की प्रतिलिपी iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट/बैलेन्स शीट वर्ष की प्रतिलिपियां iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिये लिया गया प्रस्ताव की प्रतिलिपी जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हों v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) जिसमें चाही गयी भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत विवरण अंकित हो एवं निम्नलिखित बिन्दुओं को समावेश हो संलग्न करें।(2.6)	संलग्न (प्रस्ताव के पेज संख्या 09) संलग्न (प्रस्ताव के पेज संख्या 10) 1. वर्ष 2015 रू. 34228/- संलग्न (प्रस्ताव के पेज संख्या 19) 2. वर्ष 2016 रू. 76111/- संलग्न (प्रस्ताव के पेज संख्या 16) 3. वर्ष 2017 रू. 89436/- संलग्न (प्रस्ताव के पेज संख्या 13) आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार अधिकृत व्यक्ति का नाम श्री बाबुराम गोदारा एवं पदनाम सचिव दर्शाया गया है। (संलग्न:-प्रस्ताव के पेज नं. 24) आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (एस्टीमेट) रू. 260 लाख खर्च होना दर्शाया गया है। संलग्न (प्रस्ताव के पेज संख्या 23) एवं जो.वि.प्रा. के अधिकृत आर्किटेक्चर द्वारा विस्तृत मानचित्र पेश किया गया है। संलग्न (प्रस्ताव के पेज संख्या 29-34) आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र-अ एवं चैकलिस्ट के अनुसार सामुदायिक केन्द्र, धर्मशाला, वृद्धाश्रम आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार रीको द्वारा जेडीए को समर्पित की गई सम्पूर्ण भूमि 4576 वर्गमीटर

2r H.C. 2

	<p>a) भूमि आवंटन का स्पष्ट प्रयोजन</p> <p>b) परियोजना के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता।</p> <p>c) उस पर प्रस्तावित निर्माण का विवरण मय निर्मित क्षेत्रफल</p> <p>d) वित्तीय लागत अनुमान</p> <p>e) भवन का उपयोग किन उद्देश्यों के लिये किया जायेगा</p> <p>f) निर्माण शुरू करने एवं पूरा किये जाने का निर्धारित समय</p> <p>g) परियोजना के लिये आवश्यक आर्थिक संसाधन</p> <p>VI. प्रोजेक्ट से समाज के किन वर्गों को लाभ मिलेगा तथा किस प्रकार से मिलेगा का विवरण संलग्न करें। (2.8)</p> <p>VII. अनुभव एवं वित्तीय मापदण्ड की सूचना/विवरण संलग्न करें जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश हो:- (2.5)</p> <p>a) पूर्व में किये गये कार्यों का विवरण मय लागत</p>	<p>आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में परियोजना के प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र संलग्न है। जिसके अनुसार निर्माण का क्षेत्रफल 1800.68 वर्गमीटर होगा। शेष भूमि में से कुछ पर मंदिर निर्मित है शेष खुल क्षेत्रफल है।</p> <p>आवेदक द्वारा प्रस्तुत परियोजना पर अनुमानित वित्तीय लागत रु. 260 लाख रहेगी। तकमीना संलग्न है।</p> <p>आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित भवन का उपयोग आमजन, निम्न आय वर्ग को रियायती दर पर सामाजिक कार्यों हेतु स्थान उपलब्ध कराना, किसान वर्ग एवं जनहितार्थ के कार्यों हेतु</p> <p>आवेदक द्वारा प्रस्तुत निर्माण पूर्ण करने हेतु अनुमानित 2 वर्ष का समय लगेगा।</p> <p>बैलेन्स शीट 31.03.2018 के अनुसार संस्था के पास (बै पद दिक्क) 89436/-रु. है जबकि भूमि की कीमत के अलावा अतिरिक्त राशि 260 लाख लागत लगेगी। आवेदनानुसार परियोजना हेतु आर्थिक संसाधनों के लिए संस्था के सदस्यों द्वारा आर्थिक सहायता, समाज के भामाशाह द्वारा चंदा राशि के रूप में एवं बैंक लोन इत्यादि</p> <p>आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार प्रोजेक्ट से समाज के समस्त वर्गों को, वृद्धजनों, यात्रिगण और भक्तगण एवं साधुगण को लाभ मिलेगा।</p> <p>आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार संस्था द्वारा पूर्व में भूमि की चार दीवारी निर्माण, शौचालय, टांका, टीन शेट, रस्तेईघर, वृक्षारोपण इत्यादि कार्यों पर करीब रु. 30 लाख व्यय किये गये।</p> <p>आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान में संस्था द्वारा सामाजिक कार्यों हेतु भूमि का उपयोग किया जा रहा है जैसे कि जरूरत मंद आमजन को विवाह एवं अन्य कार्यों हेतु स्थान उपलब्ध कराना, वृक्षारोपण, निःशुल्क चिकित्सा शिविर, रक्तादान</p>
--	--	---

2 H.P.E

	<p>b) वर्तमान में किये जा रहे कार्यों की वस्तुस्थिति तथा इसके समाज को लाभ का विवरण</p> <p>c) प्रस्तावित कार्य पूर्ण करने हेतु आर्थिक एवं तकनीकी क्षमता</p> <p>d) संस्था की आर्थिक स्थिति</p> <p>e) प्रस्तावित कार्य हेतु राशि की आवश्यकता एवं आवश्यक राशि किस स्रोत से प्राप्त होगी।</p> <p>VIII. आवेदक संस्थान को राज्य सरकार या स्थानीय निकाय से कहीं भी भूमि प्राप्त हुई हो तो उसका पूर्ण विवरण तथा उसके उपयोग की वर्तमान स्थिति व विवरण प्रस्तुत करें। (2.7)</p> <p>IX. आवेदक संस्था द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण संलग्न करें</p> <p>X. आवेदन संस्था के पदाधिकारी/ सदस्यों/ प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साथ संबंधी विवरण हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।</p> <p>XI. यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण</p> <p>XII. यदि आवेदक संस्था द्वारा भारतसरकार/ राज्यसरकार /अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण संलग्न करें यदि सहायता प्राप्त नहीं की जा रही हो तो शपथ पत्र प्रस्तुत करें।</p> <p>XIII. आवेदन शुल्क का झापट संलग्न कर विवरण अंकित करें</p>	<p>शिविर आदि आयोजित करवाये गये हैं।</p> <p>वर्तमान में संस्था के पास 89436/- रु. ही उपलब्ध है। तकनीकी क्षमता का कोई विवरण अंकित नहीं है। संस्था को आवंटित की जानी वाली भूमि पर प्रस्तावित निर्माण 2.6 करोड़ की तुलना में संस्था के पास मात्र 89436/- रु. ही उपलब्ध है।</p> <p>आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित कार्यों हेतु राशि संस्था के सदस्यों से आर्थिक मदद, समाज के भाभाशाहों द्वारा चंदा राशि के रूप में एवं बैंक लोन आदि से राशि प्राप्त करना बताया। प्रमाण के रूप में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये।</p> <p>संस्था द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र के अनुसार कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं की गई है। (संलग्न:- प्रस्ताव के पेज संख्या 37)</p> <p>संस्था द्वारा प्रस्ताव में कोई दस्तावेज प्रमाण के रूप में पेश नहीं किये गये हैं।</p> <p>प्रस्ताव के पेज संख्या 11 पर सदस्यों का विवरण अंकित है एवं शपथ पत्र में सदस्यों का विवरण अंकित है। (संलग्न:- प्रस्ताव के पेज संख्या 37)</p> <p>संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत कोई कार्य नहीं किया गया है।</p> <p>संस्था द्वारा कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं की जा रही है। इस हेतु संस्था द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया है। (संलग्न:- प्रस्ताव के पेज संख्या 37)</p> <p>झापट संख्या :- 253246 दिनांक :- 06.02.2018 राशि :- 5000/- बैंक का नाम :- ईण्डसंड बैंक</p>						
7.	<p>आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य/प्रयोजन तथा आवंटन नीति-2015 के बिन्दु संख्या 2.9 के अन्तर्गत यह आवेदन आता है। उक्त बिन्दु के अनुसार आवंटन योग्य भूमि की निर्धारित सीमा</p>	<table border="1"> <tr> <td>सामुदायिक</td> <td>1500 वर्गमीटर तक</td> </tr> <tr> <td>केन्द्र</td> <td></td> </tr> <tr> <td>वृद्धाश्रम</td> <td>1000 वर्गमीटर तक</td> </tr> </table>	सामुदायिक	1500 वर्गमीटर तक	केन्द्र		वृद्धाश्रम	1000 वर्गमीटर तक
सामुदायिक	1500 वर्गमीटर तक							
केन्द्र								
वृद्धाश्रम	1000 वर्गमीटर तक							

25 10/2

		धर्मशाला	1000 वर्गमीटर तक
8	यदि आवंटन नीति के तहत निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है तो अधिक क्षेत्रफल हेतु भूमि आवंटन का औचित्य प्रस्तुत करें।	संस्था द्वारा पेश की गई औचित्य रिपोर्ट में बताया कि संस्था का प्रस्तावित भूमि पर कब्जा वर्ष 2004 से चला आ रहा है संस्था द्वारा चार दीवारी, मन्दिर, चबूतरा, वृक्षारोपण, टीन सेट इत्यादि का लाखों रु. खर्च करके निर्माण करवाया गया है।	
9.	क्या संस्था को पूर्व में इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी यदि हां, तो निकाय जिसके द्वारा भूमि आवंटित की गई थी, का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल अंकित करें।	प्रस्ताव में संलग्न शपथ पत्र के अनुसार उक्त संस्था को राज्य सरकार अथवा किसी भी निकाय द्वारा पूर्व में कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है।	
10.	आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त दस्तावेजों पर अधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं प्रमाणीकरण है अथवा नहीं।	आवेदन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समस्त दस्तावेज प्रमाणित पाये गये।	

मुख्य बिन्दु :-

1. संयुक्त शासन सचिव-तृतीय नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.18(25) नविवि/सामान्य/2014 पार्ट दिनांक 27.04.2018 के द्वारा समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया कि अलग-अलग योजनाओं स्थानों पर भूमि आवंटन का प्रस्ताव भिजवाने के स्थान पर निकाय की स्वामित्व की भूमि पर संस्थानिक प्रयोजनार्थ योजना सृजित कर सार्वजनिक, धार्मिक एवं चैरिटेबल संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त कर राज्य सरकार को प्रेषित किये जावें। इसी परिपत्र की निरन्तरता में राज्य सरकार के अन्य परिपत्र दिनांक 21.06.2018 के द्वारा निर्देश दिये गये कि जो प्रस्ताव जिनका निर्णय ट्रस्ट की बैठक दिनांक 31.05.2018 तक हो चुका है वे प्रस्ताव राज्य सरकार को यथास्थिति प्रेषित किये जावें अन्यथा प्राधिकरण की संस्थागत योजना में आवेदन प्राप्त कर प्रकरण का निर्णय कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जावें।
2. संस्था द्वारा पेश की गई औचित्य रिपोर्ट में अवगत कराया कि संस्था का प्रस्तावित भूमि पर कब्जा वर्ष 2004 से चला आ रहा है संस्था ने चार दीवारी, मन्दिर, चबूतरा, वृक्षारोपण, टीन सेट इत्यादि पर लाखों रु. खर्च करके निर्माण कार्य करवाया गया है। ऐसी स्थिति में संस्था द्वारा ग्राम बोरानाडा में ही कब्जासुदा भूमि का ही आवंटन चाहा गया है। संस्था द्वारा प्राधिकरण की विकसित की जा रही संस्थागत योजना ग्राम मोगडा खुर्द या ग्राम खोखरिया में भूमि आवंटन नहीं चाहा गया है।
3. आवंटन नीति-2015 में मंदिर प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। संस्था का उक्त भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा है। आवंटन नीति-2015 में अतिक्रमित भूमि, नियमन का प्रावधान नहीं है। प्राधिकरण की अन्य पंजीकाओं में अतिक्रमित भूमि को आवंटन नहीं कर नीलाम करने का निर्णय लिया जा चुका है। प्रस्तावित भूमि भी अतिक्रमित होने से आवंटन योग्य नहीं है। इस संबंध में पैरा एन/51 पर टिप्पणी की जा चुकी है।
4. प्रस्तावित भूमि की भू-उपयोग अनुज्ञेयता की रिपोर्ट आयेजना शाखा से प्राप्त की गई। आयेजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 14 का भू-उपयोग लैण्डयूज्ड प्लान जोधपुर 2023 के अंतर्गत पश्चिमी भाग औद्योगिक प्रयोजनार्थ एवं पूर्वी भाग आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। प्रकरण में उक्त आवेदित भूमि जोधपुर मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण क्षेत्र में स्थित है। इसमें पृथक से डी.सी.आर. का उल्लेख उपलब्ध नहीं है। अतः भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में भी निर्णय लिया जाना है।
5. वित्तीय दस्तावेजों के अनुसार दिनांक 31.03.2018 को संस्था के पास मात्र रु. 89436/- उपलब्ध है जबकि भूमि पर, निर्माण की लागत 2.6 करोड़ दर्शाई गई है।
6. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी कार्यालय टिप्पणी के पैरा एन/73 एवं तकमीना, नक्शा आदि पर टिप्पणी कार्यालय टिप्पणी के पैरा एन/75 प्राप्त की गई है।

अतः प्रकरण बैठक में उचित निर्णयार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

(Handwritten Signature)

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श किया गया एवं सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवायी जावे।

प्रस्ताव संख्या 21 :: माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जोनल प्लान करने के संबंध में।

Agenda for the Executive /authority meeting of Jodhpur Development Authority Approval of draft of zonal development plan for inviting objections and suggestions:

The draft of zonal and sector plan for areas E1 and E2 has been received from the consultant WAPCOS ltd. In this regard decisions are required on following points before the draft is published for inviting objections and suggestions.

Item no. 1

Deviations in the Master Development Plan 2031:

The survey has been done by the consultant a base map has been prepared. The Master plan proposals were superimposed on the above base map. The superimposition was done with matching common points like Banar junction on Jaipur road, , Pali road near Jhalamand and Pali road bypass. The relevant 3 drawing show variation.

This shows that there is large variation in east west direction and some what less variation in north south direction. Therefore while super imposing the Master Development Plan Landuse proposals localised superimposition method has been adopted. (In this method the near by land marks are taken as base and the relevant land use is then super imposed This method properly depicts the correct position of different landuses .

Placed before committee for consideration.

Item no. 2:

Approval of other decisions taken in meeting with the consultant. Four meetings / discussions were held with the representatives of consultant WAPCOS ltd. and the following points / decisions were considered.

a) Points/ decisions of Meeting: Held on 16.04.2018

- i. Land under Agor shall not be used for proposing public facilities except for plantation belt and such uses. Land under Doli (Mandir Maafi lands) shall not be proposed for any facilities. **Comments:** Yes
- ii. New sector roads will not proposed through approved commitments. However if necessary roads proposed in farm house schemes can be proposed for widening. **Comments:** Yes
- iii. A safety corridor along the HT Line alignment shall be provided as per the guidelines/circular issued by UDH. **Comments:** Yes provided.
- iv. A 30m wide plantation belt along Jojri river shall be provided with 30m wide road on both edges as per master plan provisions. **Comments:** Yes provided.
- v. A 30m wide plantation belt shall be proposed along large water bodies as per master plan provisions. **Comments:** Yes provided. Along Jojari river A 30 mt wide planatation belt has already been proposed. Similarly a 30

Dr. J. P. Singh

- mt. belt has been proposed along talabs located near villages Jhalamand, Banad.
- vi. A strip of 9m wide land shall be proposed on both edges along the large nallas, drains as per master plan provisions. **Comments:** Yes provided
 - vii. A buffer zone of 10 mtrs. shall be provided around army areas. **Comments:** Yes provided.
 - viii. A buffer zone of 900 mtrs. shall be provided from bomb depot area, this area will not have any new proposals and hence this area shall be no construction zone. **Comments:** Yes provided.
 - ix. National highways and State Highways shall have 60 mtrs. right of way with a plantation corridor of 30 mtrs. width on both sides as per Master Development Plan proposals. After the above mentioned plantation belts, service roads of 18 mtrs width shall be provided on both sides of these highways for ease of traffic. **Comments:** Yes, provided. Above planatation zone and service road shall begin after the limit of proposals of Master plan 2023. ie. From the start of peripheral control belt along Jaipur road as was shown Master plan of 2023.

b) Points/ decisions of Meeting: Held on 20.05.2018 and comments

- i. Commercial land use shall be permitted along all the roads having right of way of 30 mtrs and above width. In addition to this if any body wants to develop mixed land use or non polluting industries or public facilities like educational institutions, hospitals etc. along such roads then the same shall also be permitted. **Comments :** Provided in Zonal/ sector plan, mixed use also permitted.
- ii. Mixed land use shall be permitted on all other roads having right of way 18 mtrs. and 24 mtrs. **Comments:** Only on Master Plan roads if any
- iii. Slums roads may be widened and facilities may be proposed as per site conditions. **Comments:** No identified slums, Yes, this can be done by JODA where necessary
- iv. Names of the revenue villages shall be taken from the master plan. **Comments:** YES
- v. The consultant shall propose all public facilities only on government land. These facilities shall confirm to URDPFI guidelines, however some relaxation in guidelines may be made if land is not available. The proposed facilities may be a) Centrals Parks for every zone. b) Land for public utilities. c) Parks, Open areas & Roads (Open-Built up ratio) shall be as per the guidelines of URDPFI to the extent possible. **Comments:** Availability of Govt. land is very less and therefore it is now proposed to have multiuse strips on new roads proposed in zonal/sector plan. Detailed proposals in given in agenda at point no. 4

c) Ponits/ decisions of Meeting: Held on 20.06.2018

- As per recent order of Hon'ble High-Court of Rajasthan, Master Plan Zonal-Sector Planning shall be based on the following points (i and ii):
- i. Master plan 2023 and its land use proposal will be used upto urbanisable limit-boundary of Jodhpur for any planning change. **Comments:** Yes
 - ii. Master plan 2031 and its land use proposals may be used only after the urbanisable limit proposed in earlier Master plan ie. Master plan 2023. **Comments:** Yes

Dr. J. E. S.

Master Plan 2023 and 2031 guidelines will be followed in Zonal-Sector Plans which are as follows:

- iii. Planning Concepts and Policies of Rajasthan government circulars and Jaipur-Jodhpur Master Plan and Town Planning deptt. shall be followed for Planning. **Comments:** Yes, but some policies may require change looking to present conditions which are explained in following agenda items.
- iv. land acquiring process for each type proposal like social infrastructure and open-space/park area. **Comments :** Care has been taken to provide for land required for social facilities. Details of policy can be considered by JODA in the agenda item no. 4
- v. Development Control Regulations (DCR) of Jaipur Development Authority i.e Knowledge city, cultural city, festival city, corporate parks, mixed land use pattern etc. **Comments :** This area does not have uses mentioned above, except mixed land use so the zoning regulations of Jaipur Master Plan shall be followed.
- vi. The details of approved commitment and land use change for shall be taken from town planning section, revenue/land record office and 90-B land record. **Comments:** Yes taken.

d) Points/ decisions of Meeting: Held on 07.08.2018

- i. A Multi use strip of 75 m has been proposed on both sides of proposed sector roads. This will be followed by a 12 m wide road on its outer profile to give access to plots. **Comments:** Yes provided, decision on this policy by JODA is required.
- ii. Existing and proposed master plan roads of 30 m has been increased to 36 mtrs to accommodate for parking and shaded cycle and pedestrian movement. **Comments:** Yes provided

Placed before the committee for consideration.

Item no. 3

Mixed use / commercial strip along major roads (30 mtrs. and above) of Master Plan

In continuation to earlier decision of provision of commercial / mixed use strip along major master Plan roads which are 30 mtrs. or more in width the implementation policy can be

The owner shall surrender the land towards such road free of cost and shall be allowed commercial or mixed use abutting such roads upto a depth of $\frac{1}{2}$ the width of such road for eg. a 30 mtrs. wide road shall have commercial plot having depth of .15 mtrs. 25% of this commercial / mixed use shall have to be surrendered to JODA for sale. By selling such plots JODA can recover the money towards construction of road. Such model has been followed by Jaipur development authority also. Any use parcel of land abutting this road (which has greater depth) beyond this $\frac{1}{2}$ of road width limit shall be considered by JODA on case to case basis and may be approved if found fit. JODA may allow Public facility use like hospital / school etc. if found fit

Placed before the committee for consideration.

Item no. 4

Provision of multiuse strip for ensuring Provision of Public Facilities

Dr
H. P. S.

There are model guidelines about provision of public facilities such as educational, health, parks and open spaces and other facilities like space for electric substations, water supply etc. which are mentioned in URDPFI guidelines. Though these guidelines are suggestive and not mandatory on state govt. but still efforts can be made to fulfill these standards. The availability of govt. land is negligible in consideration of the facilities required as per URDPFI guidelines. Therefore it is now necessary to make provision for adequate facilities in upcoming areas looking to future. Also the challenge is to provide uniformity in distribution of such facilities and locating them on major roads.

- i. **It is therefore proposed to provide multi-use areas (shown in green) along zonal plan level proposed major roads. There would a 12 meters wide road beyond this multi-use strip for giving access to inner areas.** A strip having the width of 75 meters has been proposed on both sides along these roads. This land can be used for provision of facilities such educational, health, public facilities like fire brigade station, police station, community halls, very small informal shopping spaces(maximum up to 10 such shops), providing space for public utilities such as tanks for water supply, electric substation and the remaining areas can be used for provision of parks ,play grounds etc. (As per govt. policy the land can be surrendered by khatedar and the local body shall allot him 25% area of land as developed land out of which 5% of the land shall be of commercial use and remaining 20 % of land shall be for residential use.) In the following map location of facilities has been shown in the central portion of this multiuse strip. However since all the land in this strip vests with JODA, so it may decide on any allotments as and when found suitable may be suitably located and approved. This is because the land may have to be allotted towards 25% of developed land to the owner of land as compensation and this should be nearest to the land held by khatedar or JODA may find it suitable to locate few facilities together. Therefore though generally the land for facilities may be allotted in the center but still it may become necessary to locate it at other place looking to specific conditions.
- ii. **Access to colonies and grant of incentive for group housing plots in lands abutting this multiuse strip :** There would a 12 meters wide road (like service road) beyond this multi-use strip for giving access to inner areas. (sketch at Annex. A). If any developer of land (for a layout or town ship) surrenders land towards this multi-use strip and thus those plots shall be given relaxation towards FAR and Height as if the plot is located on 18 mtrs. wide road. This provision is just similar to Rajasthan Town ship development policy guidelines where in if any township is located on a major road like 18 or 24 mtrs width then any group housing plot even if proposed inside the township shall be given benefit towards height FAR etc. as if it is located on that main road.
- iii. **Grant of incentives to khatedars/developers for lands surrendered towards multiuse strip and implementation:**
- iv. **Implementation of this concept:** In order to implement it effectively It is necessary that any person coming for approval of layout of in the area marked for such roads and or multiuse strip shall surrender the land shown under road and multi-facility use to Jodhpur Development authority free of cost .

ds

J.P.

Case-1: If the total land surrendered from a layout for such use is 20% (vis a vis total land area of layout) or more say upto 25 % then the layout proposed can be approved **without leaving any further area like area for facilities or open space** as indicated in town ship policy guidelines.

Case-2: If the amount of land surrendered exceeds more than 25% and upto 40% then JODA may **waive off all conversion and development charges** for layout approved (however lease charges as per reserve price of that area would be payable).

Case-3: If the land to be surrendered is more than 40% of total area of layout, then JODA may give an option to the owner that he may get **compensation for land surrendered in excess of 40% and get full waiver of conversion and development charge for remaining land** or else get **developed land to the extent of 25% of total land of proposed layout** (leaving the land required compulsorily for proposed road if any) and this 25% land can be used for mixed use or residential use. Such 25 % of developed land can be given in his own land or in this multiuse strip to meet the obligation of JODA.

- V. **Allotment or sale of such multiuse facility land:** Such lands can be allotted or sold by JODA in future for uses cited above.
- vi. **Crossing or junction of Master plan road and road having multiuse strip :** at all locations where Major Master Plan road meets or crosses proposed sector road having multiuse strip then the provision of having commercial strip or mixed use strip along master plan road will prevail. However such strip of mixed use shall be limited to ½ width of road and remaining part of multiuse strip will be retained. Access road of 12 mtrs. width which runs along multiuse strip shall meet the main master plan road to ensure connectivity.
- vii. **Legal aspects:** JODA may have to take a policy decision including govt. approval as waiver of conversion and development charges is involved. However looking to long term benefits it may be advisable to use this policy.
Land pooling policy can also be adopted to get this multi-use strip of land for public purpose while taking up development of this area. **In such a case giving any waiver for surrender of land or payment of compensation may not be necessary.**

Placed before the committee for consideration.

Item no. 4

Mandatory surrender of land towards parks open spaces and facilities in layouts

Provision of facility areas, parks and open spaces in the colonies: There is provision of having 5% facility area in colonies having less than 2 hectares. Also there is another provision that the developer can pay cost of this 5% facility area as reserve price and no facility area needs to be provided. **Thus most of the layout proposals which are submitted for approval are of less than 2 hectares to get this benefit.** Thus very less facility areas are now available and JODA also does not get any facility areas for disposal.

ds
JOD/2

Therefore it is proposed that all the developers or khatedars shall have to provide 20% of land for parks and facility area. This shall be necessarily surrendered to JODA. 50 % of Such lands can be used, for Parks, and remaining 50% of this land can be used for development of social infrastructure and public utilities. Such lands should necessarily be provided on the widest road of the colony. The width to length ratio of such plot shall not be more than 3.0 . Thus it will ensure that plot is usable. If the total area of land surrendered is less than 500 sq. mtrs. then cost such land can be charged to the developer and such land can be released for of the developer.

Placed before the committee for consideration.

Item no. 5

Proposals for facilities (shown at Major road Junctions) in the Master Development Plan 2031:

The facilities have been proposed at the junction of Major roads in the MDP 2031 of Jodhpur. These admeasure 250 mtrs x 250 mtrs. each on four corners of with 30 Mt. road junction. The MDP document says that this area can be utilised as under,

30% of land towards facilities like Park, open space, Play ground, children park etc.

10% of the land should be used for plantation,

60 % of land to be used for shopping center, dispensary, hospital , school, and other public facilities.

There can be two options to provide for this.

Option 1. Jodhpur Development Authority acquires land by paying money and provides the necessary facilities.

Sketch plan showing the proposal in enclosed at annex. 2,

Land distribution and available land is as under.

Total area (5000 x 500) = 250,000 sq. mt.

Internal Road area: 72930 sq, mt

Remaining area: 177,670 sq. mt..

30 % of this area (for Parks open space etc) about 56824 sq. mts.

About 10 % of the area (for plantation) , 24405 sq. mt.

60% of the area (for shopping center, Hospital, School and other facilities) 96441 sq. mts.

This is a costly proposition and may invite litigation.

Option 2. The land can be acquired by Jodhpur Development Authority by paying compensation as 25 % of developed land. Part of the land is utilised under roads, 10 % of the land can be used for Plantation and remaining area can be used by JODA for facilities

Sketch plan showing the proposal in enclosed at annex. 3,

Land distribution and available land is as under.

Total area (5000 x 500) = 250,000 sq. mt.

Internal Road area: 72930 sq, mt

Remaining area: 177,670 sq. mt..


25 % of land area as compensation to khatedar is about 73376 sq. mts. which can be used for mixed use or multiuse as decided by JODA

About 10 % of the area (for plantation) , 24405 sq. mt.

Land area with JODA (for Hospital, School and other facilities) 79288 sq. mts.

Item no. 6

Water harvesting and conservation:



Community Rain water harvesting: At present it is mandatory to have rain water harvesting system in plots having area of 300 sq. mtrs or more. However most of the plots in the scheme are less than this size. It is therefore necessary that community rain water harvesting structures shall be constructed mandatorily in the colony park to harvest rain water. This can be made mandatory for khatedar or builder whose layout is approved.

At appropriate places such structures can also be constructed in the part of major roads 18 mtrs and above. Part of road like foot path or land reserved for road side plantation can be used this will also reduce cost of piping. However prior to this JODA may approve this location as well as type of structure which will strong enough.

Provision of Sewerage treatment plant (STP) in layouts or on community basis and use of treated water for plantation etc.: At present it is feasible to have sewerage treatment plants even small colony layouts having 2 hectare land also. Such plants help to do away with large size sewers and the treated water can be used locally. For eg. the treated water can be used for road side plantation as well to maintain parks. This reduces spending of valuable fresh drinkable water and reduces depletion of ground water which otherwise would be used. In long run the ground water table will be stable. **If it is not possible to have STPs in the small layouts then JODA can consider charging some money towards construction from each developer or khatedar towards having small community STPs at different locations** and same treated water can be used locally or used for rejuvenation of JOJARI river and plantation belt proposed along it.


Placed before the committee for consideration.

Item no. 7

Land acquisition for roads to ensure connectivity

- i. **Policy for all Roads 18 meters and above:** It has been found that many sector roads or master plan roads lie undeveloped or have gaps because between two approved layouts there may be some land owners who have not come forward for approval layouts. This creates gaps in connectivity and creates hurdles for smooth flow of traffic. It is therefore suggested that JODA may acquire land to the extent of 2/3 width of road. Thus for 18 mtrs. wide road JODA may acquire only 1/3 width of road from the central line of road on both sides. This will reduce the cost burden of land to be acquired and ensure connectivity of roads.
- ii. Land for roads which are 18 meters and above shall be acquired by JODA by paying compensation, or get it surrendered while approving layout plans.
- iii. If the khatedar does not surrender his land and JODA is required to acquire it then on that particular layout if any layout is submitted for approval in future then JODA may ask the person to pay back the land acquisition amount with interest or disallow the developer to have commercial use which is otherwise available on master plan roads (30 mtrs. or more wide) or else pay conversion charges and surrender 25% of commercial plots to JODA during approval of layout.

Placed before the committee for consideration.



निर्णय

बैठक में जोनल प्लान तैयार करने के संबंध में वेप्कोस के अधिकारियों द्वारा प्राधिकरण के समक्ष बैठक में अपनी प्रस्तुतीकरण (प्रजेण्टेशन) दिया गया जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा एवं निदेशक-विधि द्वारा विचार विमर्श किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भी अवगत कराया गया कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है एवं इसपर सावधानी पूर्वक कार्य कर नियमानुसार अधिकतम लोगों को लाभ दिये जाने का लक्ष्य रहना चाहिए। वर्तमान में प्रस्तुत प्रस्ताव पर दावा/आपत्ति प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। इसके पश्चात् सक्षम स्तर पर दावा/आपत्ति का निस्तारण कर प्रकरण का विधिक परीक्षण करवाकर जिन मामलों में छूट आदि के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक है, उनके संबंध में राज्य सरकार से पत्राचार करने एवं निर्णय प्राप्त करने का बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 22 :: योग एवं ध्यान शिविरों हेतु बरकतुल्लाह खाँ स्टेडियम का निःशुल्क उपयोग

सन टू ह्यूमन एशोसियेशन संस्था द्वारा आवेदन पेश कर निःशुल्क योग एवं ध्यान शिविर आयोजित करने हेतु जोधपुर शहर में दिनांक 09.05.2019 से 21.05.2019 तक दो पारियों में सुबह 6:00 से 9:00 बजे तक एवं शाम 6:00 से 9:00 बजे तक कुल 13 दिवस के लिए बरकतुल्ला खाँ स्टेडियम निःशुल्क निःशुल्क आवंटन की मांग की गई है। साथ ही शिविर में ध्वनि यंत्र का उपयोग किये जाने की अनुमति चाही गई है। संस्था द्वारा इस शिविर में भाग लेने वाले साधकों से कोई शुल्क नहीं किये जाने का उल्लेख किया है।


जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की बैठक दिनांक 15.05.2017 के प्रस्ताव संख्या 06 के अंतर्गत बरकतुल्ला खाँ स्टेडियम के आवंटन से संबंधित नियम/विनियम बनाये गये है। जिसके अंतर्गत प्राईवेट क्षेत्र से आवेदन प्राप्त होने पर मापदण्ड एवं धरोहर राशि के संबंध में समाज/समिति/कम्पनी के लैटर हैड पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर युक्त आवेदन पर ही विचार किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ 25,000/- रुपये धरोहर राशि संलग्न की जानी अनिवार्य होगी, अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। संस्था को प्रस्तावित आवंटन तिथि से कम से कम 15 दिवस पूर्व आवेदन करना होगा। नियम के अंतर्गत आवंटन का प्रयोजन के संबंध में स्टेडियम खेल मैदान केवल क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु आवंटित किया जायेगा। सरकारी कार्यक्रम/राष्ट्रीय महत्व के कार्य हेतु स्टेडियम आवंटित नहीं किया जा सकेगा। प्राईवेट क्षेत्र में समाज/समिति/कम्पनी को स्टेडियम का खेल मैदान निःशुल्क आवंटन नहीं किये जाने का प्रावधान रखा गया एवं नियमों में शिथिलता के संबंध में अध्यक्ष/आयुक्त महोदय का आदेश मान्य होगा, का प्रावधान रखा गया।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डीबी सिविल रिट पीटिशन नं. 121/1995 निर्णय दिनांक 10.11.2000 के अंतर्गत बरकतुल्ला खाँ स्टेडियम खेल मैदान खेल-कूद प्रतियोगिता हेतु, नेशनल फेस्टिवल-गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस के अलावा अन्य किसी भी प्रयोजनार्थ हेतु आवंटन नहीं किये जाने के आदेश प्रदत्त है। संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ धरोहर राशि संलग्न नहीं की गई है।

अतः प्रकरण बैठक में उचित निर्णयार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में सन टू ह्यूमन एशोसियेशन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में यह पाया गया कि योग एवं ध्यान शिविर आमजन के स्वास्थ्य के लिए आयोजित होते है एवं इस प्रकार की सेवा के लिए कोई शुल्क प्रतिभागियों से वसूल नहीं किया जाता है। अतः





उपरोक्त आवंटन को विशेष प्रकरण के तहत मानते हुए प्राधिकरण के पूर्व में बनाये गये नियमों/विनियमों में शिथिलता देते हुए प्रचलित दर की 10 प्रतिशत दर से दिनांक 9 मई, 2019 से 21 मई, 201 तक दो पारियों यथा प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तथा सांय 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक कुल 13 दिवस के लिए बरकतुल्लाह खां स्टेडियम का आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उक्त आवंटन विशेष परिस्थितियों यथा राजकीय कार्य, चुनाव कार्य अथवा अन्य परिस्थितियां होने पर निरस्त किया जा सकेगा।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(उल्लेखनीय है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम, 2014 के नियम 12 (2) में प्रावधान है कि यदि बैठक में उपस्थित पचास प्रतिशत या इससे अधिक सदस्य कार्यवृत्त प्राप्त के सात दिवस के भीतर किसी विशिष्ट विनिश्चय या विनिश्चयों का कार्यवृत्त या उसके किसी भाग के गलत तथा/ या त्रुटिपूर्ण अभिलेखन के आधार पर आपत्ति करें और निवेदन करे कि उक्त विनिश्चय या विनिश्चयों का क्रियान्वयन रोक दिया जावेगा और अगली बैठक में ऐसे विनिश्चय लिये जाने तक क्रियान्वित नहीं किया जावेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के पच्चीस प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु पचास प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें और उसके या उनके प्रवर्तन को रोकने के लिए निवेदन करें तो अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, अगली बैठक तक, जब प्रश्न विनिश्चय के लिए रखा जायेगा, क्रियान्वयन रोक सकेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के बीस प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें तो उनकी आपत्ति या आपत्तियां विनिश्चय के लिए अगली बैठक में रखी जावेगी।

कार्यवृत्त जब तक कि रोक या उलट न दिया गया हो, संशोधन या उपान्तरित न कर दिया गया हो, पीठासीन सदस्य तथा सचिव के हस्ताक्षरों के पश्चात् पुष्ट किया हुआ समझा जायेगा। परन्तु विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण, संशोधन या उनके उलटे जाने से विनिश्चय या विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण/संशोधन या उनके उलटे जाने से पूर्व की गई किसी बात या कार्यवाही पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा)


(प्रो. (डॉ.) महेन्द्र सिंह राठौड़)
अध्यक्ष



(अरुण पुरोहित)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2018/643-658

दिनांक :: 26 सितम्बर, 2018

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. अतिरिक्त शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. महापौर महोदय, नगर निगम, जोधपुर
03. जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद, जोधपुर
04. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
05. संयुक्त शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
06. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
08. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
09. उप आवासन आयुक्त-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
10. वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर



11. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. निदेशक- अभियंत्रिकी/ आयोजना/ वित्त/ विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, उप सचिव, भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अधीक्षण अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
16. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17.

2-
(अरुण पुरीहित)
सचिव

परिशिष्ट-1

श्री (डॉ) महेन्द्र सिंह राठौड़, माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 25 सितम्बर, 2018 को प्रातः 11.00 आयोजित प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण

1. श्री पूनाराम चौधरी, जिला प्रमुख, जिला परिषद, जोधपुर
2. श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3. श्री महिपाल कुमार, अतिरिक्त कलक्टर-द्वितीय, जोधपुर
4. श्री जयसिंह चौधरी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
5. श्री डी.एस. चौहान, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
6. श्री अरुण कमल शर्मा, आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
7. श्री विजय किशन छंगाणी, अधीक्षण अभियन्ता, डिस्कॉम (सिटी), जोधपुर
8. श्री पी.आर. बेनीवाल, वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर
9. श्री के.एस. चौधरी, उप आवासन आयुक्त, खण्ड-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
10. श्री अरुण पुरोहित, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर